विषय—सूची

खंड—ए..........5

परिचय..........6

अध्याय 1..........6

आमुख..........6

विस्तार तथा प्रयोजन..........7

मुख्य विचार..........8

नीति तथा प्रणाली में संशोधन/परिवर्धन..........10

विचलन हेतु असाधारण दशाएँ..........11

खंड—बी..........12

काम सौंपे जाने से पहले..........12

अध्याय 1..........13

प्रस्तावना..........13

अध्याय 2..........14

परियोजना की संकल्पना एवं निवेश की मंजूरी..........14

परियोजना की संकल्पना..........14

परियोजना की मंज़ूरी..........17

अग्रिम खर्च की मंज़ूरी तथा परियोजना की निवेश-पूर्व मंज़ूरी..........17

सामान्य..........17

अध्याय 3..........19

प्रापण के लिए संविदा पैकेज सूची..........19

अध्याय 4..........20

डी पी आर, आरंभिक मास्टर नेटवर्क, मास्टर नेटवर्क तथा परियोजना निष्पादन योजना हेतु कार्यान्वियन कार्य-क्रम तथा लागत आकलन तैयार करना..........20

डी पी आर, आरंभिक मास्टर नेटवर्क, मास्टर नेटवर्क हेतु कार्यान्वियन कार्य-क्रम तथा परियोजना निष्पादन योजना..........20

एन आई टी लगत आकलन तैयार करना..........21

अध्याय 5..........23

बोली-दाताओं तथा उप-विक्रेताओं की अर्हता की अनिवार्यता....23

अध्याय 6....28

बोली देने सम्बन्धी कागज़ात....28

सामान्य....28

बोलियों की वैधता तथा बोली की प्रतिभूति....29

बोली के कागज़ात की स्पष्टता/विनिर्देश....29

मानक....29

ब्राण्ड नामों का प्रयोग....30

मूल्य-निर्धारण....30

मूल्य समायोजन....31

बोली में उल्लिखित मुद्रा....31

भुगतान की मुद्रा....32

भुगतान की शर्तें तथा पद्धतियाँ....32

अग्रिम पर ब्याज....32

निष्पादन प्रतिभूति तथा अवरोधन राशि....32

परिशोधित क्षतियाँ....33

संविदा का विभक्तन....33

अध्याय 7....34

प्रापण की पद्धतियाँ....34

खुली प्रतिस्पर्धा में बोली देना/खुली निविदा आमंत्रण....34

सीमित प्रतिस्पर्धात्मक बोली-देना/सीमित निविदा आमंत्रण....34

एकल स्रोत प्रापण....35

फुटकर प्रापण/खरीदारी कर प्रापण/दरों केलिए अनुरोध व मौके पर खरीदारी....36

डी जी एस एण्ड डी की दरों पर प्रापण....36

फ्रेमवर्क करारनामे/दर संविदाएं....36

टेंडरिंग/बिडिंग का मोड (रास्ता)....37

निविदा देने/बोली देने की पद्धति(प्रक्रिया)....38

एन आई टी/आई एफ बी के प्रकाशन सम्बन्धी मार्ग-निर्देश....40

बोली तैयार करने तथा बोली के कागज़ात की बिक्री सम्बन्धी मार्ग-निर्देश..41

बोली जमा करने सम्बन्धी मार्ग-निर्देश..42

बोली खोलने सम्बंधी मार्ग-निर्देश..43

बोली खोलने वाली समिति तथा निविदा समिति का नामांकन और मंजूरी...44

हितों का टकराव..44

अध्याय 8...45

बोलियों का मूल्यांकन और सिफारिशों सहित मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रस्तुति**..45**

अध्याय 9...51

बोली के बाद की चर्चाएँ/विशिष्ट करारनामे और ठेके देना...51

अध्याय 10...53

काम दिए जाने से पूर्व के विशिष्ट मुद्दे..53

सामान्य..53

अर्हकारी अपेक्षाओं सम्बन्धी मुद्दे..53

बोली की प्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दे..53

करों तथा शुल्कों सम्बन्धी मुद्दे...54

बैंकिंग प्रपत्रों अर्थात बैंक गारंटी/साख-पत्र सम्बन्धी मुद्दे...56

निविदा के बाद की सौदेबाजी...59

बोली की प्रक्रिया के शून्यीकरण, फौरी बोली-देने/पुनः-निविदा कार्य/ई-रिवर्स नीलामी सम्बन्धी मुद्दे.......................59

बोली देने की पद्धति में भागीदारी हेतु फार्मों की पात्रता/अ-पात्रता सम्बन्धी मुद्दे...60

विशिष्ट परिस्थितियों, अर्थात जोखिम और लागत में की संविदाओं सम्बन्धी मुद्दे..61

डिब्रीफिंग...61

विवाद निपटन क्रिया-विधि/शिकायतों को सम्हालने की प्रणाली...61

उपबंध-1...63

खण्ड ए

परिचय

अध्याय 1

क1.0 आमुख

क1.1 केन्द्रीय पारेषण सेवा, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया लि. की स्थापना “क्षेत्रों के बीच भरोसे, सुरक्षा तथा किफ़ायत के साथ विद्युत्-शक्ति के अंतरण की सुविधा देने हेतु क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थापना एवं परिचालन के मिशन” के साथ हुई है। पावरग्रिड के कार्य-क्षेत्रों/गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित(जिन्हें इसमें इस के बाद संक्षेपण केलिए ‘परियोजनाएं’ कहा गया है) शामिल हैं:

(i) पारेषण प्रणालियो केलिए **पावरग्रिड** के स्वामित्व वाली परियोजनाएं: **पीजी-टीएस परियोजनाएं।**

(ii) लोड डिस्पैच तथा सम्प्रेषण हेतु पावरग्रिड के स्वामित्व वाली परियोजनाएं: **पीजी-यूएलडीसी परियोजनाएं।**

(iii) दूर-संचार हेतु पावरग्रिड के स्वामित्व वाली परियोजनाएं: **पीजी-टेलीकोम परियोजनाएं।**

(iv) कार्यालयों/टाउनशिप तथा अन्य सिविल कार्यों के निर्माण हेतु पावरग्रिड के स्वामित्व वाली परियोजनाएं: **पीजी-सिविल वर्क्स परियोजनाएं।**

(v) विशेष प्रयोजन वेहिकल्स(*एस पी वी*) या अन्य बिज़नेस मॉडल्स के माध्यम से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली-देने *(टीबीसीबी)* के अंतर्गत परियोजनाएं: **पीजी-टीबीसीबी परियोजनाएं।**

(vi) वितरण प्रबंधन प्रणाली वाली परियोजना: **डीएमएस-परियोजनाएं।**

(vii) अन्य संगठनों, सेवाओं, कम्पनियों आदि(जिन्हें समग्र रूप से भारत में **“ग्राहक संगठन”** कहा गया है) से परामर्शी कार्य के अंतर्गत प्राप्त परियोजनाएं:

   क**)** डिपोजिट कार्य के तौर पर, जहाँ ग्राहक संगठन की संलग्नता से या बिना संलग्नता के,ठेके देना और कार्यान्वयन पावरग्रिड द्वारा किया जाता है: **परामर्शी परियोजनाएं(ए)।**

   ख**)** उपरोक्त (vii)(ए) के अलावा अन्य कार्य जिनमें वे कार्य भी शामिल हैं जहाँ काम सौंपे जाने से पूर्व गतिविधियाँ पावरग्रिड द्वारा की जाती हैं किन्तु काम देने की मंजूरी, ठेके देने और कार्य-संपादन ग्राहक संगठन द्वारा किया जाता है: **परामर्शी परियोजनाएं(बी)।**

(viii) उपरोक्त (vii)(ए) तथा (vii)(बी) के यथानुसार श्रेणियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कारोबार केलिए परियोजनाएं: क्रमशः **आईबी परियोजनाएं(ए) तथा आईबी-परियोजनाएं(बी)।**

(ix) अनुसन्धान तथा विकास से सम्बंधित परियोजनाएं: **पीजी-अनुसन्धान एवं विकास परियोजनाएं।**

(x) परिसंपत्तियों के प्रचालन तथा रख-रखाव से सम्बंधित परियोजनाएं: **पीजी-एएम परियोजनाएं।**

(xi) परामर्शियों, सुरक्षा एजेंसियों, हाउस-कीपिंग तथा आयोजन प्रबंधन एजेंसियों की नियुक्तियों, बीमा, मरम्मत, कार्यालय उपभोग की वस्तुओं की खरीद, आई टी, ऊर्जा दक्षता*(ईई)*, स्मार्ट ग्रिड(*एसजी*), अन्य विविध मदों/गतिविधियों आदि से सम्बंधित अन्य ज़रूरतें/गतिविधियां: **पीजी-आकस्मिक परियोजनाएं(प्रशासन/आईटी/ईई/एसजी आदि)।**

ए1.1.1 उपरोक्त परियोजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ, वित्त-पोषण के विविध साधनों के साथ मॉल की खरीद, कार्यों तथा सेवाओं(जिन्हें **"प्रापण"** कहा गया है) हेतु ठेकों का दिया जाना और उनका कार्यान्वियन शामिल है। वित्त-पोषण में अन्य के आलावा अपने स्वयं के स्रोत (आंतरिक वित्त-पोषण), बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं(यथा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जे बी आई सी, के एफ डब्लु आदि) से ऋण/उधार, सप्लायर का उधार पर माल देना, जमा कार्य(ग्राहक संगठनों द्वारा वित्त-पोषण, सरकारी अनुदान/सरकार से प्रबंधित निधि) आदि सम्मिलित हैं।

ए1.1.2 **पावरग्रिड** के प्रापण सञ्चालन ढाँचे हेतु मार्ग-निर्देश बताते हुए प्रलेख "कार्य तथा प्रापण नीति एवं पद्धति प्रलेख *(डब्ल्यु पी पी पी)*—खंड-I और खंड-II" शीर्षक से, क्रमशः सितम्बर, 2001 तथा अक्तूबर, 2002 में अपनाए गए थे। खंड-I में, ठेके दिए जाने तक परियोजना की संकल्पना(जहाँ कहीं भी जरुरी हो) से आरम्भ कार्य दिए जाने से पूर्व की गतिविधियाँ आती हैं तथा खंड-II में, कार्य दिए जाने के बाद की गतिविधियाँ होती हैं जिनमें ठेके के शुरू होने से इसके पूरे हो जाने तक की स्थिति होती है। इस प्रलेख द्वारा उक्त प्रलेखों को वर्षों में प्राप्त अनुभव, सामान्यतः कारोबार के संदर्भ तथा माहौल में परिवर्तनों एवं विशेष रूप से ई-प्रापण सहित *टी बी सी बी* के प्रकाश में दोबारा देखा गया है और संशोधित किया गया है।

ए1.2 विस्तार तथा प्रयोजन

ए1.2.1 इस प्रलेख(उपरोक्त संदर्भित ए.1.1.2 में संदर्भित प्रलेख को प्रति-स्थापित करते हुए संशोधित प्रलेख) का प्रयोजन, प्रापण हेतु **पावरग्रिड** के सञ्चालन ढांचे केलिए नीति को स्पष्ट करना है। तथापि, विभिन्न वितीय संस्थाओं या अन्य एजेंसियों द्वारा वित्त-पोषित प्रापण हेतु, उनके साथ किया गया वित्त-पोषण करार ही **पावरग्रिड** एवं ऐसी संस्थाओं/एजेंसिओं के बीच कानूनी सम्बन्ध को अभिशासित करेगा। यहाँ दी गई नीति ऐसे वित्त-पोषित प्रापण पर लागू नहीं होगी।

ए1.2.2 **पावरग्रिड** तथा माल, कार्य तथा सेवाएं देने वालों(अर्थात ठेकेदार/सप्लायर/परामर्शी/एजेंसियां) के अधिकार तथा उत्तरदायित्व, बोली-सम्बन्धी प्रलेखों तथा **पावरग्रिड** द्वारा उनके साथ हस्ताक्षरित/कार्यान्वित संविदाओं से अभिशासित होंगे।

ए1.2.3 इन प्रलेखों में "माल,कार्य तथा सेवा" से संदर्भ में सभी सम्बंधित सेवाएँ, जैसे परिवहन, बीमा, सिविल वर्क्स, खड़ा करना/स्थापित करना, परख, चालू करना, प्रशिक्षण एवं आरंभिक रख-रखाव आदि, जैसा कि संदर्भ द्वारा अपेक्षित हो, शामिल है। इन प्रलेखों में "सेवाओं" के अर्थो में परामर्श, रख-रखाव, सुरक्षा, परिसंपत्ति प्रबंधन, जलपान-गृह का सञ्चालन, वाहनों/कार्यालय उपस्करों को उपलब्ध करना भी शामिल है।

ए1.2.4 इस प्रलेख से ऐसी आकस्मिकताओं/मुद्दों का पूर्व-ज्ञान पाने का प्रयास किया गया है जिनसे कारोबार के दौरान सामना हो सकता है और उनके विषय को नीति में शामिल किया गया है। तथापि, प्रापण के दौरान सामने आने वाली/वाले आकस्मिकताओं/मुद्दों को पहले से जान लेना न तो संभव है और नाही व्याहारिक है, ऐसी/ऐसे सामने आ जाने वाली/वाले आकस्मिकताओं/मुद्दों को, हर मामले को अलग-अलग पारदर्शी, उचित तथा विवेकपूर्ण सोच के साथ सर्वोत्तम कार्यकारी निर्णय का प्रयोग कर संभाला जाएगा, जैसाकि उचित एवं समग्र रूप से **पावरग्रिड** के हित में होगा।

ए1.2.5 इस प्रलेख के प्रावधानों को तर्क-पूर्ण ढंग से बढ़ाया जाएगा जिससे ये क्षेत्रीय मुख्यालयों/स्थल कार्यालयों द्वारा हैंडल किए जा रहे पैकेजों (जिन्हें इसमें इस के बाद "साईट पैकेज़िज़" कहा गया है) पर लागू हों एवं सरोकारी हों तथा ऐसे अन्य प्रापणों पर लागू हों जिन्हें इसमें उल्लेखित कर शामिल नहीं किया गया है।

ए1.2.6 वित्तीय शक्तियों को अभिशासित करने हुए लागू होने वाले "शक्तियों के प्रत्यायोजन" की इस प्रलेख पर सदा वरीयता रहेगी। और भी, यदि कभी इस प्रलेख एवं इस प्रलेख के लागू होने से पहले किसी अन्य मेनुअल या परि-पत्र/आदेश के बीच कोई विसंगति होती है तो वरीयता इसी प्रलेख की रहेगी। महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से सम्बंधित मंज़ूरी हेतु अनुमति की

शक्तियों के प्रत्यायोजन को समय-समय पर अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक की मंज़ूरी से अपनाया जाएगा। निदेशक-मण्डल को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

ए1.2.7 निम्नलिखित खण्डों तथा सम्बंधित अनुलग्नकों के साथ प्रलेख को **"पावरग्रिड की कार्य तथा प्रापण नीति" (डब्लुपीपी)** कहा जाएगा:

<u>जिल्द—I</u>

खंड - ए: परिचय

खंड - बी: कार्य दिए जाने से पूर्व

<u>जिल्द—II</u>

खंड - सी: कार्य दिए जाने के बाद

प्रत्येक खंड में एक या अधिक अध्याय होंगे। अध्यायों की विषय-सूची में नीति के पहलु शामिल होंगे।

ए1.2.8 इस प्रलेख या शक्तियों के प्रत्यायोजन में जो पद्धतिगत पहलु, उत्तरदायित्व-केंद्र, मंजूरी देने की शक्तियों के प्रत्यायोजन शामिल नहीं हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित किए जाने तक डब्लु पी पी पी, खंड-I तथा खंड-II(उपरोक्त ए-1 तथा ए-2 में संदर्भित) द्वारा अभिशासित होते रहेंगे।

ए1.3 मुख्य विचार

ए1.3.1 प्रापण हेतु ठेकों का दिया जाना और पूरा किया जाना सामान्यता निम्नलिखित मुख्य विचारों द्वारा मार्ग-निर्देशित होंगे:

(क) ज़रुरत के माल, कार्य तथा सेवाओं को सही क्वालिटी और मात्रा में, सही समय पर, सही स्थान पर तथा प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर उपलब्ध कराना जिससे खर्च की प्रत्येक ईकाई के लिए अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके।

(ख) प्रसंगाधीन माल, कार्य तथा सेवाओं के प्रापण सहित परियोजना के कार्यान्वयन में किफ़ायत तथा कुशलता।

(ग) माल, कार्य तथा सेवाएं देने हेतु प्रतिस्पर्धा करने केलिए, उनकी क्षमता एवं योग्यता के अनुरूप, सभी पात्र, अर्हकारी सक्षम बोली-दाताओं को उचित अवसर प्रदान करना।

(घ) स्थानीय, घरेलु ठेका-कार्य(कांट्रेक्टिंग) तथा उत्पादक उद्योगों/एजेंसियों के विकास को बढ़ावा देना।

(च) समय-सीमाओं का समुचित ध्यान रखते हुए प्रापण प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और बराबरी।

(छ) भ्रष्टाचार और धोख-धडी के चलन से बचने केलिए क्रिया-विधि बनाना।

(ज) कुशलता, प्रभावशीलता एवं पारदर्शिता बढाने के लिए प्रौद्योगिकी, विशेष तौर पर ईटी तथा आई टी तथा आई टी समर्थित सेवाओं *(आई टी एस)*का सर्वाधिक उपयोग करना।

ए1.3.2 ठेके देने तथा उनको पूरा किए जाने केलिए **पावरग्रिड** के सभी सम्बंधित कर्मचारियों के कार्य नैतिक, पारदर्शी तथा उचित, **पावरग्रिड** के हित में एवं प्रस्तुत तथ्यों और वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर किए गए होंगे। इस में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर प्रबंधन द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए कर्मचारी के ईरादे, उत्साह तथा उसके द्वारा की गई कार्रवाई के समर्थन वाले औचित्य पर, सम्बंधित तथ्यों और कार्रवाई करते समय की परिस्थिति पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।

ए1.3.3 प्रापण कार्य में संलग्न बोली-दाता, सप्लायर, ठेकेदार, एजेंसियां ठेकों के लिए प्रतिस्पर्धा करते एवं कार्यान्वित करते हुए उच्चतम नैतिक मानकों और सत्य-निष्ठा का पालन करेंगे।

उपरोक्त के अनुसरण में, **पावरग्रिड**:–

(क) यदि यह सिद्ध हो जाता है कि प्रसंग-गत ठेके हेतु प्रतिस्पर्धा में निर्णयों को प्रभावित करने के लिए, बोली देने की प्रक्रिया के दौरान किसी बोली दाता ने स्वयं या अपने एजेंट के माध्यम से भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, कपटपूर्ण, दबाव डालने वाला या बाधा-मूलक व्यवहार किया है तो कार्य दिए जाने वाली बोली को रद्द कर सकता है;

(ख) यदि यह सिद्ध हो जाता है कि ठेका प्राप्त करने के लिए या उसके कार्यन्वयन के दौरान ठेकेदार द्वारा स्वयं या किसी एजेंट(एजेंट से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति है जो कानूनी तौर पर या प्राकृतिक रूप से बोली-दाता/ठेकेदार की ओर से अपने हस्ताक्षर और प्राधिकार से प्रस्तुति देने के लिए प्राधिकृत है) के माध्यम से भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, कपटपूर्ण, दबाव डालने वाला व्यवहार किया गया है तो ठेके को पूर्णतः या अंशतः रद्द कर सकता है;

(ग) यदि किसी भी समय यह सिद्ध हो जाता है कि किसी ठेके को पाने या कार्यान्वित करने के लिए किसी फार्म ने स्वयं या एजेंट के माध्यम से भ्रष्टाचार, धोखा-धडी, कपटपूर्ण या दबाव डालने वाला व्यवहार किया है तो यह उचित समझी गई कार्रवाई कर सकता है जिसमें फर्म को चेतावनी देना और/या एक निश्चित अवधि(1 वर्ष से 3 वर्ष) हेतु फर्म को अयोग्य घोषित करना हो सकता है;

(घ) ऐसी अन्य कोई भी कार्रवाई कर सकता है जो पावरग्रिड के सर्वोत्तम हितों को सुरक्षित करते हुए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्याय-संगत व उचित हो तथा सम्बंधित ठेके/ठेकेदार के साथ व्यवहार में उचित हो।

ए1.3.4 उपरोक्त प्रावधानों के प्रयोजन केलिए शब्दों- “भ्रष्ट व्यवहार”, “धोखा-धडी वाला व्यवहार”, “कपटपूर्ण व्यवहार” या “बाधा-कारक व्यवहार” का अर्थ निम्नलिखित होगा:

(i) “भ्रष्ट व्यवहार” से तात्पर्य है प्रापण प्रक्रिया में **पावरग्रिड** के कर्मचारी(कर्मचारियों) की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए कोई मूल्यवान वस्तु भेंट करना, देना, प्राप्त करना या उसकी मांग करना।

(ii) “धोखा-धडी वाले व्यवहार” के अर्थों में, तथ्यों को दबाने/गलत ढंग से पेश करने, जाली/झूठे कागज़ात प्रस्तुत करने, झूठी घोषणाएं करने सहित ऐसे सभी कार्य शामिल हैं जो जानबूझ कर या असावधानीवश, किसी पार्टी को वित्तीय लाभ या फायदा पहुँचाने केलिए या किसी उत्तरदायित्व से बचने या **पावरग्रिड** के हित की हानि करते हुए प्रापण प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं। इनमें बोली के मूल्यों को कृत्रिम, अ-प्रतिस्पर्धी स्तरों तक लाने एवं **पावरग्रिड** को प्रतिस्पर्धी मूल्यों के लाभ से वंचित करने के लिए बोली दाताओं के बीच(बोली देने से पहले या बाद में) कपटपूर्ण एकता का चलन भी शामिल है।

(iii) कपटपूर्ण ठेके के कार्य में दो या अधिक ऐसी पार्टियों के बीच, ऐसे अवैध प्रयोजन को सिद्ध करने केलिए साथ-गाँठ जो **पावरग्रिड** के हित के विरुद्ध है।

(iv) “दबाव-पूर्ण व्यवहार” से किसी पार्टी की कार्यवाहियों को अनुचित ढंग से प्रभावित करने केलिए पार्टी या पार्टी की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में विकृत करना या हानि पहुँचाना या विकृत करने या हानि पहुँचाने की धमकी देना अभिप्रेत है।

(v) “बाधा-कारक व्यवहार” से तात्पर्य होगा(i) भ्रष्ट, धोखा-धडी, कपटपूर्ण या बाधा-कारक व्यवहार के आरोपों की जांच में महत्वपूर्ण ढंग से बाधा डालने केलिए साक्ष्य-सामग्री को जान-बूझ कर नष्ट करना, झूठा बनाना, बदल देना या झूठे बयान देना; तथा/या जांच से सम्बंधित सामग्री की जानकारी की सूचना देने या जांच जारी रखने से रोकने के लिए किसी पार्टी को धमकी देना, परेशान करना या डराना या(ii) संविदागत अधिकारों के प्रयोग या लेखा-परीक्षा या सूचना तक पहुँच में महत्वपूर्ण ढंग से बाधा उत्पन्न करना।

ए1.3.5 उपरोक्त के अनुसरण में **पावरग्रिड** द्वारा, अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक द्वारा यथा अनुमोदित, अपनी परियोजनाओं/प्रापणों के लिए “सत्य-निष्ठा संधि” और ऐसे अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ उन कार्यक्रमों को अपनाया जाएगा जिनकी सिफारिश केन्द्रीय सतर्कता आयोग/भारत के नियंत्रक व महा लेखा-परीक्षक/ सरकारी/संविधिक तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा की जाएगी।

ए1.4 नीति तथा पद्धति में संशोधन/बढ़ोतरी

ए1.4.1 सामान्य क्रम में इस प्रलेख पर, इसे अपनाए जाने के पांच वर्षों या प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने पर पुनः विचार किया जाएगा। तथापि, सक्षम प्राधिकारी की समय-समय पर मंजूरी से इस प्रलेख में संशोधन कर सुधार/वृद्धि की जा सकेगी।

ए1.4.2 इस कार्य तथा प्रापण नीति के किसी प्रावधान में संशोधन करने के लिए सक्षम अधिकारी, जहाँ तक यह नीति(पैरा ए1.2.7 देखें) से सम्बंधित है, (क) अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक के निर्णयानुसार संशोधन/वृद्धि के तात्विक प्रकृति के होने पर

निदेशक-मण्डल होगा; तथा (ख) नीति को कार्यान्वित करने तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित सभी मामलों में अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक रहेंगे। प्रक्रिया सम्बन्धी शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित पद्धतिगत मार्ग-निर्देशों(पैरा ए1.2.8 देखें) से सम्बंधित संशोधनों के मामले में मंजूरी हेतु सक्षम अधिकारी अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक होंगे। संशोधनों के लिए प्रस्ताव इस का.तथा प्रा. नीति के अनुलग्नक-I में निश्चित सम्बंधित उत्तरदायित्व केन्द्रों द्वारा ज़रूरत और अनिवार्यता के आधार पर प्रस्तुत किए जाएंगे जिन पर एक स्थाई समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसमें, कार्पोरेट केंद्र में का.नि.(वित्त) तथा का.नि.(संविदा/ठेके), सम्बंधित विभाग के कार्यकारी निदेशक एवं किन्ही दो क्षेत्रों से कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे। कार्पोरेट केंद्र के का.नि.(संविदा/ठेके) इस समिति के संयोजक होंगे।

ए1.5 विचलन हेतु असाधारण परिस्थितियाँ

नीति से औचित्य-पूर्ण विचलन अनिवार्य कर देने वाली परिस्थितियों से सामना होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में, विचलनों की मंजूरी दी जाएगी किन्तु इस के लिए हर मामले हेतु कारण अभिलेखित होंगे और इस के लिए उसी प्राधिकारी की मंजूरी होगी जो उपरोक्त पैरा ए1.4.2 के यथानुसार संशोधन की मंजूरी देने के लिए सक्षम है।

ए1.6 इस प्रलेख को अपनाने के अनुसरण में, नीति के अनुरूप बनाने केलिए बोली-सम्बन्धी प्रलेखों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

ए1.7 माइक्रो तथा लघु उपक्रमों से माल तथा सेवाओं का प्रापण, उस समय प्रचलित सरकारी नीति के अनुसार किया जाएगा।

:: खंड—ए की समाप्ति ::

खण्ड बी
कार्य सौंपे जाने से पूर्व

अध्याय 1

बी1.0 प्रस्तावना

बी1.1 परियोजनाओं की या किसी अन्य ज़रूरत को पूरा करने के लिए संविदा कर प्रापण किया जाएगा।

बी1.2 उपरोक्त के बावजूद, औचित्य को अभिलेखित करते हुए विवशता-पूर्ण परिस्थितियों में प्रापण, विभागीय व्यवस्था से, 'सीधे लेबर' द्वारा, 'विभागीय बल' या 'सीधी खरीद' से किया जा सकता है।

बी1.3 कार्य दिए जाने से पहले की अवस्था के दौरान प्रापण से पूर्व सामान्यतः निम्नलिखित गतिविधियाँ होती हैं:

(i) परियोजना की संकल्पना, प्रारंभिक मंज़ूरी तथा निवेश की मंज़ूरी *(इस का सामान्यतः अर्थ होगा ऐसी मंज़ूरी/करारनामा या इसी के सामान प्रलेख जो प्रापण कार्य को आगे बढाने की प्रशासनिक/वित्तीय मंज़ूरी को बताता है।)*
(ii) संविदा पैकेज सूची
(iii) मास्टर नेट-वर्क/परियोजना कार्यान्वयन योजना
(iv) लागत का प्राक्कलन
(v) बोली-दाताओं की अर्हता सम्बन्धी अपेक्षा (*क्यू आर*)
(vi) बोली देने सम्बन्धी प्रलेख
(vii) बोली सम्बन्धी प्रक्रिया
(viii) निविदा देने/बोली देने का ढंग
(ix) बोलियों के लिए आमंत्रण(*आई एफ बी*)/निविदाएं आमंत्रित करते हुए सूचना*(एन आई टी)*
(x) बोली देने के कागज़ात की बिक्री
(xi) बोलियाँ प्राप्त करना और उन्हें खोलना
(xii) बोलियों की जांच तथा बोलियों की मूल्यांकन रिपोर्ट (*बी ई आर*)
(xiii) बोलियां प्राप्त हो जाने के बाद चर्चा/विशेष करारनामा, यदि ज़रूरी हो तो
(xiv) कार्य सौंपने की अधिसूचना(*एन ओ ए*), संविदा करारनामा*(सी ए)* तथा संविदा निष्पादन गारण्टी*(सी पी जी)*
(xv) अन्य पहलु तथा मुद्दे

:: अध्याय—1 समाप्त ::

अध्याय 2

बी2.0 परियोजना की संकल्पना तथा निवेश की मंज़ूरी

बी2.1 परियोजना की संकल्पना

बी2.1.1 विद्युत् पारेषण प्रणाली परियोजनाएं

विद्युत् पारेषण परियोजनाएं:

- या तो पावरग्रिड द्वारा स्वयं ही या केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण एवं परियोजना के लाभ-भोगियों के परामर्श से, प्रणाली की ज़रूरतों के आधार पर चिन्हित की जाती है; तथा
- सम्बंधित क्षेत्रों की विद्युत् प्रणाली आयोजना की स्थाई समिति/ क्षेत्रीय विद्युत् समिति(आर पी सी) द्वारा निश्चित की जाती हैं।

किसी परियोजना के निश्चित हो जाने पर सशक्ति-कृत समिति, 'टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली देने' *(टी बी सी बी)* के रास्ते(*टीबीसीबी परियोजनाएं*) या **पावरग्रिड**(*पीजी-टीएस परियोजनाएं*) के माध्यम से कार्यान्वयन की विधि को तय करती है।

टिप्पणी:

प्रणाली को मज़बूत करने वाली परियोजनाएं:

केन्द्रीय पारेषण सेवा होने के नाते ***पावरग्रिड****, सी ई आर सी के मार्ग-निर्देशों के अनुसार अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली हेतु दीर्घ-आवधिक पहुँच देने केलिए उत्तरदायी है। अतः किसी आवेदक से दीर्घ-आवधिक पहुँच के लिए आवेदन प्राप्त होने पर* ***पावरग्रिड*** *यह पता लगाने केलिए प्रणाली का अध्ययन करेगा कि क्या दीर्घावधि पहुँच की अनुमति, प्रणाली के सशक्तिकरण के साथ या उसके बिना दी जा सकती है। यदि दीर्घावधि पहुँच की अनुमति केलिए प्रणाली को मज़बूत करने की ज़रुरत है तो विद्युत् प्रणाली आयोजना की स्थायी समिति/क्षेत्रीय विद्युत् समितियों (आर पी सी) द्वारा उक्त प्रणाली सशक्तिकरण परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।*

परियोजना को अंतिम रूप देने के बाद अधिकार-प्राप्त समिति कार्यान्वयन की विधि तय करेगी ("टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली देने" के रास्ते या ***पावरग्रिड*** *के माध्यम से) तथा सम्बंधित प्रावधान ऐसी परियोजनाओं के लिए लागू होगा।*

बी2.1.1.1 पीजी-टी बी सी बी परियोजनाएं

बोली देने की प्रक्रिया के समन्वयक(*बी पी सी*), जो एक खास परियोजना के लिए विशेष प्रयोजन साधन (*एस पी वी*) को शामिल करता है और बोली देने की प्रक्रिया का सञ्चालन करता है, को निश्चित करते हुए *टी बी सी बी* परियोजनाएं भारत के राजपत्र में(अंतर-राज्य परियोजनाओं के लिए) तथा सम्बंधित राज्य के राजपत्र में(अन्तः-राज्यीय परियोजनाओं के लिए) अधिसूचित की जाती हैं।

अर्हताओं के लिए अनुरोध(*आर एफ क्यू*)/प्रस्ताव के लिए आमंत्रण(*आर एफ पी*) के प्रत्युत्तर में, प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार **पावरग्रिड** उसके लिए बोली देने में भाग ले सकता है। यदि **पावरग्रिड** बोली जीत जाता है तो इसे एस वी पी प्राप्त करना होगा जो 'बूम'(*बी ओ ओ एम*)आधार पर या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसरण में, *बी पी सी* द्वारा दिए गए आधार पर परियोजना(*पी जी – टी बी सी बी परियोजना*) का काम सम्हालेगा।

टी बी सी बी से सम्बंधित प्रापण सामान्यतया इन नीतिगत मार्ग-निर्देशों में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा। तथापि, इस बात को ध्यान में रखते हुए हर मामले के लिए अलग-अलग सोच अपनानी होगी कि ऐसी परियोजना के अंतर्गत **पावरग्रिड** की जोखिम तथा उत्तरदायित्व, उसकी अन्य परियोजनाओं से काफी अलग प्रकार के हैं, यद्यपि उचितता, पारदर्शिता, बराबरी सुनिश्चित की गई तथा यदि कोई हुए तो पूर्वानुमानों को भली प्रकार अभिलेखित किया गया। इसके लिए कारणों को अभिलेखित कर, हर मामले केलिए अलग सोच, अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक की मंजूरी से अपनाई जा सकती है।

बी2.1.1.2 पीजी – टी एस परियोजनाएं

स्कीम/परियोजना को तय करने के बाद सम्बंधित विभाग अपने यहाँ अनेक गतिविधियाँ आरम्भ करेंगे, जैसे परिमाणों का बिल (*बी ओ क्यू*) तैयार करना, संभाव्यता रिपोर्ट (*एफ आर*) तैयार करना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, परियोजना कार्यान्वयन कार्य-क्रम, निवेश की मंजूरी हेतु प्रस्ताव चालू करना, वित्त-पोषण के लिए प्रबंध करना आदि।

बी 2.1.2 पीजी - यू एल डी सी परियोजनाएं

यू एल डी सी परियोजना को सीधे ही **पावरग्रिड** के एल डी एण्ड सी विभाग द्वारा या केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण तथा लाभ-भोगियों के परामर्श से तय किया जाएगा और उसे अंतिम रूप से निश्चित, सम्बंधित क्षेत्रों की विद्युत् प्रणाली आयोजना की स्थाई समिति/क्षेत्रीय विद्युत् समिति करेगी।

यू एल डी सी स्कीम /परियोजना तय हो जाने के बाद शक्ति-प्राप्त समिति कार्यान्वयन की विधि निश्चित करेगी(क्या 'टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली-देने'(*टी बी सी बी*) के मार्ग से या **पावरग्रिड** के माध्यम से कार्यान्वित की जाए) तथा सम्बंधित प्रावधान परियोजना के कार्यान्वयन पर लागू होंगे।

बी2.1.3 पीजी – दूर-संचार (टेलीकॉम) परियोजनाएं

ग्राहकों को बैंडविड्थ क्षमता तथा इन्टरनेट सेवाएं देने के लिए **पावरग्रिड** को भारत सरकार ने लाईसेंस दे रखा है। ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दूर-संचार विभाग, प्राप्त/संभावित कारोबार के आधार पर अपने विस्तारण/उन्नत करने/ प्रणाली को मज़बूत करने/और अधिक उपलब्धता हेतु संस्थापित क्षमताओं को बढाने सहित विभिन्न शहरों को जोड़ने केलिए ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क डालने जैसे कार्यों का अभिज्ञान/संकल्पन करेगा और उसे अंतिम रूप देगा।

दूर-संचार परियोजना के तय हो जाने के बाद सम्बंधित विभाग अपने यहाँ अनेक गतिविधियाँ आरम्भ करेंगे जैसे परिमाणों का बिल *(बी ओ क्यू)* तैयार करना, संभाव्यता रिपोर्ट (*एफ आर*) तैयार करना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, परियोजना कार्यन्वयन कार्य-क्रम तय करना, निवेश की मंजूरी हेतु प्रस्ताव चालू करना, वित्त-पोषण केलिए प्रबंध करना आदि।

बी2.1.4 डी एम एस परियोजनाएं

वितरण सेवाओं/राज्य सरकारों के अनुरोध पर पावरग्रिड द्वारा, वितरण योजनाओं से सम्बंधित कार्य उन की ओर से तथा परामर्शी शुल्क के भुगतान पर जमा कार्य के तौर पर किया जाता है।

सम्बंधित सेवा/राज्य सरकारों/किसी अन्य सरकारी एजेंसी से अनुरोध प्राप्त होने पर, कार्यान्वयन के लिए **पावरग्रिड** की सहमति की सूचना, सभी विभागों को सूचित करते हुए *डी एम एस विभाग* द्वारा दी जाएगी। सहमति की सूचना के आधार पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए **पावरग्रिड** एवं राज्य सेवा/वित्त-पोषण करने वाली एजेंसी आदि के बीच (द्वि-पक्षीय/बहु-पक्षीय, जैसा भी मामला हो) आवश्यक करारनामे किए जाएंगे।

बी2.1.5 परामर्शी परियोजनाएं

पावरग्रिड द्वारा परामर्शी परियोजनाएं ग्राहकों, यथा विद्युत् शक्ति पारेषण/वितरण सेवाओं आदि की ओर से की जाती है। ऐसा सेवाओं से प्राप्त अनुरोधों एवं ऐसी एजेंसी के साथ किए गए करार के आधार पर किया जाता है। एक विशेष परामर्शी परियोजना के अंतर्गत **पावरग्रिड** द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कार्य का दायरा, पावरग्रिड तथा सेवा के बीच हुए करारनामे द्वारा अधिशासित होगा। ऐसे कार्यों के लिए परामर्शी शुल्क, सेवा तथा **पावरग्रिड** के बीच हुए करारनामे के अनुसार होगा। **पावरग्रिड** तथा सेवा के बीच करारनामे के हस्ताक्षरित होने की तयारी कारोबार विकास प्रभाग(*बी डी डी*) द्वारा की जाएगी। यदि परियोजना की लागत, सेवा द्वारा प्राक्कलित लागत से अधिक होती है तो *एन आई टी* काम सौंपने के पहले/संविदा(ठेके) के कार्यान्वित होने के दौरान, जैसा भी हो, इस के लिए सेवा की सहमति प्राप्त कर ली जाएगी।

बी2.1.6 अंतर-राष्ट्रीय कारोबार के अंतर्गत परियोजनाएं(आई बी परियोजनाएं)

परामर्शी परियोजनाओं (जमाकार्य) तथा साथ ही ऐसी परियोजनाओं का कार्य **पावरग्रिड** द्वारा किया जाएगा जो बोली देने के अंतर्गत हैं और/या इसे सौंपी गई हैं और अंतर-राष्ट्रीय कारोबार के अंतर्गत जिनका खर्च **पावरग्रिड** द्वारा वहन किया जाएगा और जिन्हें हस्ताक्षरित करारनामे के अनुसार या **पावरग्रिड** को दिए गए ठेकों (संविदाओं) के अनुसार ग्राहकों की ओर से करना होगा। ऐसी परियोजनाओं के अंतर्गत **पावरग्रिड** द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कार्य का दायरा, **पावरग्रिड** तथा सेवा के बीच हुए करारनामे/दिए गए ठेकों के अनुसार होगा । ऐसे कार्यों के लिए परामर्शी शुल्क/ठेके का मूल्य, **पावरग्रिड** एवं सेवा के बीच हुए करारनामे/दिए गए ठेकों के अनुसार होगा।

बी2.1.7 आई टी/प्रशासन/ईई/एसजी/अन्य परियोजनाएं(आकस्मिक परियोजनाएं)

आई टी/एच आर/ईई/एसजी/ अन्यों से सम्बंधित कार्य का विचार **पावरग्रिड** की आंतरिक ज़रुरत की समग्र आयोजना के आधार पर किया जाएगा। उपरोक्त के आधार पर, सम्बंधित प्रभागों द्वारा, आगे की गतिविधियों को शुरू करने के लिए **पावरग्रिड** के उचित प्राधिकारी से तकनीकी तथा प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त की जाएगी।

बी2.1.8 विविध परियोजनाएं

ऊपर के पैराग्राफों में संदर्भित परियोजनाओं/कार्यों के अतिरिक्त समय-समय पर अन्य अनेक परियोजनाओं को आरम्भ करने की ज़रूरत हो सकती है। एक विशेष परियोजना/कार्य हेतु परियोजना की संकल्पना/कार्य की आवश्यकता सम्बंधित विभाग द्वारा तैयार की जाएगी जो ऐसी परियोजना की संकल्पना के अनुरूप कार्यान्वयन से सम्बंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु समन्वयक विभाग भी होगा।

बी2.2 परियोजना के लिए मंजूरी

भिन्न-भिन्न परियोजना के लिए, जहाँ कहीं भी लागू और अपेक्षित हो:

- *विद्युत् मंत्रालय/सी ई ए* से विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत मंजूरी ली जाएगी;
- विद्युत् उत्पादकों तथा लाभ-भोगियों के साथ **पावरग्रिड** द्वारा परियोजना कार्यन्वयन करारनामा एवं दीर्घावधि करारनामा किया जाएगा तथा करारनामों के उपलब्ध न होने पर, कार्यान्वयन आरम्भ करने से पहले *सी ई आर सी* की रेगुलेटरी मंजूरी ली जाएगी।
- संभाव्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी;
- निवेश की मंजूरी ली जाएगी।

बी2.3 अग्रिम खर्च की मंज़ूरी तथा परियोजना की निवेश-पूर्व मंज़ूरी

परियोजना के लिए निवेश की मंज़ूरी के शेष रहते, कार्य सौंपे जाने से पूर्व की गतिविधियों के प्रयोजनों हेतु निदेशक-मंडल/अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक की निवेश-पूर्व मंज़ूरी (*पी ए)* (जिसे आरंभिक मंज़ूरी भी कहते हैं) ली जाएगी। और भी, परिमाण के बिल हेतु सर्वेक्षण, संभाव्यता रिपोर्ट के लिए तैयारी, बाउंडरी वाल, वन सम्बन्धी अनापत्ति केलिए प्रस्तावों को फ़ाइल करने, भूमि के अधिग्रहण आदि जैसी गतिविधियों पर खर्च केलिए अग्रिम खर्च की मंज़ूरी ली जाएगी। इसी प्रकार, *टी बी सी बी* परियोजना केलिए भी बोली दिए जाने से पूर्व की गतिविधियों, जैसे सर्वे, मिट्टी की जांच, बोली-पूर्व गठबंधन आदि हेतु आवश्यक अग्रिम खर्च की मंज़ूरी ली जाएगी।

बी2.4 सामान्य

बी2.4.1 परियोजना के विभिन्न कान्ट्रेक्ट पैकेज़िज़ के लिए बोलियों हेतु निमंत्रण/निविदा आमंत्रित करते हुए नोटिस जारी करने तथा *आई एफ बी/एन आई टी* पर खर्च करने से पहले की शर्त निवेश-पूर्व मंज़ूरी/जहाँ निवेश-पूर्व मंज़ूरी लागू नहीं है, जैसे आकस्मिक/विविध परियोजनाएं आदि, वहां प्रशासनिक मंज़ूरी होगी। तात्कालिक ज़रूरत होने पर, निवेश-पूर्व मंज़ूरी के शेष रहते, *आई एफ बी/एन आई टी* को अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक की मंज़ूरी से जारी कर सकते हैं।

सम्बंधित लाभ-भोगियों के साथ क्षति-पूर्ति/कार्यान्वयन करारनामे सहित परियोजना के निवेश की मंज़ूरी (जहाँ कहीं भी निवेश की मंज़ूरी लागू नहीं है वहां खर्च करने के लिए प्रशासनिक मंज़ूरी), ठेके देने से पूर्व की एक शर्त होगी।

बी2.4.2 उप-केन्द्रों के पैकेज हेतु ठेके देने के लिए, *सी एम जी विभाग* द्वारा भूमि की उपलब्धता की पुष्टि भी एक पूर्व शर्त होगी। तथापि, यदि भूमि अति-शीघ्र निकट भविष्य में मिलने की सम्भावना है तो अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक से प्राधिकृत होकर कार्य दिया जा सकता है।

:: अध्याय – 2 की समाप्ति ::

अध्याय 3

बी3.0 प्रापण के लिए संविदा पैकेज

बी3.1 बेहतर समन्वयन तथा इन्टरफेसिंग, प्रतिस्पर्धा को आकर्षित करने तथा लागत प्रभावी प्रापण को सुगम बनाने के लिए परियोजना के दायरे के अंतर्गत अनेक तत्वों एवं कार्यों को बोलियों के आमंत्रण तथा ठेके देने हेतु उचित पैकेज़िज़ में विभाजित कर दिया जाएगा।

बी3.2 पैकेज सूची में वे सभी पैकेज शामिल रहेंगे जिनका कार्य *सी सी* (जिन्हें कार्पोरेट पैकेज कहा जाएगा) तथा साथ ही क्षेत्रों द्वारा (जिन्हें स्थल पैकेज कहा जाएगा) किया जाएगा। कार्पोरेट पैकेज के लिए, और आगे विवरण, जैसे उनके नाम, सांकेतिक लागत, प्रापण की विधि/पद्धति, वित्त-पोषण की विधि इस में शामिल होंगे।

बी3.3 यदि प्रापण की पद्धति खुली प्रतिस्पर्धा में बोली लगाने वाली से अलग कोई और है तो इसके लिए उचित कारण अभिलेखित किए जाएंगे। यदि एक या अधिक पैकेज़िज़ के प्रापण की पद्धति सीमित निविदा आमंत्रण/एकल निविदा आमंत्रण है तो भावी बोली-दाताओं के नाम भी पैकेज सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव में शामिल किए जाएँगे।

बी3.4 पैकेजिंग के समय परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तत्वों एवं कार्यों के परिमाण, प्रकृति, जटिलता, स्थिति, समय-सारिणी तथा सांकेतिक लागत पर विचार किया जाएगा।

बी3.5 प्रापण हेतु पैकेजिज की उचित साइजिंग के लिए एक या अधिक परियोजनाओं के तत्वों/कार्यों को मिलाया जा सकता है।

बी3.5.1 विभिन्न तत्वों/कार्यों को मिलाते समय क्षति-पूरण/कार्यन्वयन करारनामे के हस्ताक्षरित होने, निवेश हेतु मंजूरी या विभिन्न परियोजनाओं के अन्य पहलुओं पर उपयुक्ततः विचार किया जाएगा ताकि मिलाए हुए तत्वों/कार्यों के ठेकों का दिया जाना लगभग उसी समय सीमा में संभव हो सके।

बी3.6 कुछ पैकेज़िज़ को ऐसे पैकेज़िज़ के तौर पर तय किया जाना चाहिए जिनकी जरूरत विक्रेताओं को विकसित करने/बढ़ावा देने में होगी। इन का अभिज्ञान पैकेज सूची में किया जाएगा।

बी3.7 कार्पोरेट केंद्र द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के पैकेज़िज़ का काम सम्हाला जाएगा:

(क) प्रमुख मदों/घटकों की सप्लाई तथा कार्यों हेतु पैकेज।
(ख) ऊंचे मूल्यों वाले पैकेज।
(ग) वे पैकेज़िज़ जिनमें विशिष्ट जानकारी की ज़रूरत होती है।
(घ) बहु-पक्षीय या द्वि-पक्षीय वित्त-पोषण संस्थाओं/सप्लायर के क्रेडिट द्वारा वित्त-पोषित पैकेज़िज़।
(ङ) वे पैकेज़िज़ जिनमें सप्लाई के स्रोत देश से बाहर होने की संभावना है।

बी3.8 बार-बार- होने वाले कार्यों के लिए, कार्पोरेट तथा साथ ही स्थल पैकेज़िज़ हेतु मानक पैकेज सूची बनाई जाएगी और उसका पालन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, प्रापण की विषय-वस्तु के मौद्रिक-मूल्य तथा/या भौतिक मापन को, जो भी प्रासंगिक समझा जाए, अन्य पहलुओं के साथ-साथ आधार बनाया जा सकता है।

:: अध्याय - 3 की समाप्ति ::

अध्याय 4

बी4.0 डी पी आर के लिए कार्यान्वियन कार्यक्रम, प्रारंभिक मास्टर नेटवर्क, मास्टर नेटवर्क एवं परियोजना निष्पादन योजना तथा लागत प्राक्कलन तैयार करना।

बी4.1 डी पी आर के लिए कार्यान्वियन कार्यक्रम, आरंभिक मास्टर नेटवर्क, मास्टर नेटवर्क तथा परियोजना निष्पादन योजना।

बी4.1.1 परियोजना प्रबंधन एवं मानिटरिंग प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जाएगा: (i) *डी पी आर* हेतु कार्यन्वयन कार्यक्रम, (ii) आरंभिक मास्टर नेट-वर्क(*पी एम एन)*, (iii) मास्टर नेट-वर्क(*एम एन डब्ल्यु*) तथा (iv) परियोजना निष्पादन योजना (*पी ई पी*)।

बी4.1.2 नई स्कीम/योजना की सूचना प्राप्त होने के दो से तीन हफ़्तों के भीतर *'सी एम जी', **डी पी आर*** में कार्य देने से पूर्व तथा कार्य देने के बाद की विभिन्न गतिविधियों एवं माइलस्टोन्स हेतु समय-सीमा देने केलिए समय-सारिणी तैयार करेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः *सी टी यू* द्वारा यथा सूचित परियोजना की समय-सारणी और/या एक या अन्य कारकों, यथा *'सी ई आर सी'* की समय-सीमा/विद्युत्-उत्पादन कार्यक्रम (विद्युत्-उत्पादक परियोजनाओं के लिए), सामान्य/ द्रुत-गामी परियोजना कार्यक्रम, प्रणालीगत ज़रूरतों या अन्य किसी ज़रुरत पर आधारित होगा।

बी4.1.3 पैकेज सूची की मंज़ूरी के शेष रहते, '*सी एम जी', 'सी टी यू'* से नई परियोजना/स्कीम की सूचना मिलने के दो से तीन हफ़्तों के भीतर एक आरंभिक मास्टर नेटवर्क(*पी एम एन*) बनाएगा और जारी करेगा। इस पी एम एन में प्रापण को सुकर बनाने के लिए, कार्य दिए जा ने से पहले की गतिविधियाँ शामिल होंगी।

बी4.1.4 मंज़ूर-शुदा पैकेज सूची प्राप्त होने के दो से तीन हफ़्तों के भीतर ', विभिन्न पैकेज़िज़ के कार्यक्रमों को शामिल एवं समाकलित करते हुए एक मास्टर नेटवर्क बनाएगा। *सी एम जी'* इस मास्टर नेटवर्क में निवेश-पूर्व तथा निवेश बाद, दोनों

ही अवस्थाओं की मुख्य गतिविधियां एवं महत्वपूर्ण माइलस्टोन शामिल होंगे। *सी एम जी* द्वारा मास्टर नेटवर्क को इस प्रकार दिए गए अंतिम रूप को अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक द्वारा मंज़ूरी दी जाएगी।

बी4.1.5 हर परियोजना के लिए परियोजना निष्पादन योजना, एक सदा विकसित होने वाला प्रलेख होगा जिसे परियोजना की वास्तविक प्रगति और विकास के आधार पर *सी एम जी* द्वारा हर छह महीने (हर साल के अप्रैल एवं अक्तूबर में) या उससे पहले भी अद्यतन किया जाएगा/समीक्षित किया जाएगा। परियोजना निष्पादन योजना, परियोजना की प्रमुख गतिविधियों तथा महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स जैसे निवेश-पूर्व/निवेश की मंजूरी(जैसा भी लागू हो) या परामर्शी करारनामे/क्षतिपूरक करारनामे पर हस्ताक्षर होना, *टी बी सी बी* परियोजनाओं के अंतर्गत विशेष प्रयोजन वाहन (*एस पी वी*) हासिल कर लेना, वन तथा पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति, भूमि का प्रापण, निविदा आमंत्रित करते हुए सूचना देना, कार्य सौपे जाने की अधिसूचना, संकल्पना से चालू होने तक, पैकेज–वार विवरण के साथ परियोजना के आरम्भ होने एवं पूरे होने की तारीखें को समाविष्ट करते हुए तैयार की जाएगी।

बी4.2 एन आई टी लागत प्राक्कलन तैयार करना

बी4.2.1 सभी नियमित/पुनरावर्ती वाले परियोजना प्रापणों के लिए *एन आई टी* लागत प्राक्कलन को, दरों की अनुसूची (*एस ओ आर*) के आधार पर तैयार किया जाएगा जिसे इसी प्रकार की मदों के प्रापण से प्राप्त मूल्यों की जानकारी को देखते हुए बनाया गया होगा। दरों की अनुसूची (*एस ओ आर*) तैयार करने के प्रयोजन के लिए मार्ग-निर्देशों को समय-समय पर एक समिति द्वारा निश्चित किया जाएगा जिसमें सी एम डी के अनुमोदन से लागत इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, वित्त तथा सी एस विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो ए जी एम/जी एम स्तर के अधिकारी होंगे। अन्य प्रापणों या उन मदों के लिए जो न तो दिल्ली शेडयूल ऑफ़ रेट्स (*डी एस आर)* के और ना ही **पावरग्रिड** के *एस ओ आर* के अंतर्गत आती हैं तथा क्षेत्रों/स्थलों द्वारा करे जाने वाले विशेष कार्यो हेतु, जैसे टावर का सुदृधिकरण, मरम्मत के कार्य, लाइन दिक्-परिवर्तन आदि के लिए लागत का प्राक्कलन, अंतिम प्रापण मूल्यों या न्यूनतम मूल्य होंगे जो पिछले बज़टीय निर्खों पर आधारित हों तो बेहतर होगा।

बी4.2.2 *एस ओ आर* को, जो विगत में इसी प्रकार की मदों के प्रापण हेतु उपलब्ध मूल्य सम्बंधित आंकड़ों पर आधारित होगा, बीच की अवधि के दौरान, खोली गई बोलियों या अन्य स्रोतों से यथा-उपलब्ध मूल्यों का प्रयोग करते हुए हर तिमाही में अद्यतन किया जाएगा। सामान्यतः, एस ओ आर हेतु मूल्यों का निर्धारण, वर्तमान बाज़ार भावों/पिछले प्रापण मूल्य/आर्थिक संकेतकों या कच्चे माल के मूल्य, मजदूरी तथा जहाँ कहीं भी संभव और उपलब्ध हो, निवेश लागतों के आधार पर वास्तविक तौर पर तथा विषय-परक ढंग से किया जाएगा। लागत प्राक्कलन में, तात्विक सोच पर आधारित आकलन को विचार में शामिल किया जाएगा तथा घटक बनाया जाएगा; लेकिन जहाँ मूल्य औसत से बहुत अधिक या कम हों, वहां ऐसे मामलों से बचना चाहिए। क्योंकि इसके लिए कारण विचित्र हो सकते हैं यथा कठिन इलाका, नए ठेकेदारों द्वारा आक्रामक बोली देना आदि। और भी, एस ओ आर को तैयार करते समय जिन मदों के लिए संभव हो, उनके कच्चे माल तथा अन्य निवेशों की लागत को ध्यान में रखने का प्रयास होना चाहिए एवं इसमें बंधे खर्चों(ओवरहैड्स), लाभ तथा अन्य खर्चों केलिए गुंजाईश रखनी चाहिए।

बी4.2.3 क्षेत्रीय/स्थल के स्तर पर प्रापण की लागत के प्राक्कलन हेतु विशेष रूप से सिविल एवं अवसंरचना कार्यों के लिए, जहाँ कहीं भी उचित और संभव हो**, सी पी डब्ल्यु डी** की दरों की सूची पर ध्यान दिया जाना चाहिए अर्थात निकटतम स्थानों में लागू, **सी पी डब्ल्यु डी** द्वारा यथा प्रकाशित व लागत सूचकों के साथ अद्यतनीकृत दिल्ली शेडयूल ऑफ़ रेट्स(*डी एस आर*)।

बी4.2.4 उस पैकेज के लिए, जिसके आधार पर बोली देने हेतु अर्हकारी अपेक्षाओं को तय किया जाता है, एन आई टी लागत प्राक्कलन हेतु प्रयुक्त लागत पत्र(कोस्ट शीट), एक अतिरिक्त महीने की माफ़ी अवधि(ग्रेस) के साथ, *एन आई टी* की तारीख से 6 महीनों से अधिक पहले का नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि लागत पत्र हस्ताक्षरित होने की तारीख दिसंबर, 2015 है तो एक अतिरिक्त महीने (जुलाई 2016) की माफ़ी वाली अवधि के साथ यही जून, 2016 तक प्रकाशित होने वाली एन आई टी पर लागू होगी। यह और आगे इस शर्त के अधीन होगा कि लागत प्राक्कलन के मूल्य स्तर से लगा कर 9 महीने की अवधि के भीतर *एन आई टी* को जारी कर दिया जाएगा।

बी4.2.5 एक बार जब बोलियाँ खोल ली जाती हैं तो *एन आई टी* लागत प्राक्कलन को लागत इंजीनियरिंग विभाग द्वारा, पैकेज की बोलियाँ खोलने की वास्तविक तारीख से एक महीना पहले अद्यतन किया जाएगा। साथ ही, पैकेज की बोली खोलने की

वास्तविक तारीख की संगत में लागू होने वाले *एस ओ आर* पर आधारित लागत प्राक्कलन को भी, कार्य देने वाले अनुशंसित मूल्य से तुलना करने के प्रयोजन हेतु तैयार किया जाएगा।

बी4.2.6 *एन आई टी* लागत प्राक्कलन को अद्यतन करते एवं लागू एस ओ आर पर आधारित लागत प्राक्कलन तैयार करते समय, लागू होने वाले करों और शुल्कों की वास्तविक स्थिति को हिसाब में लिया जाएगा।

बी4.2.7 ऐसे नए कार्य/मद/गतिविधि के मामले में, जो कम मूल्य के हैं और जिनके मूल्य दिए गए नियमित कार्यों में उल्लिखित नही हैं, बजटीय दरें आवश्यक नहीं भी हो सकती हैं तथा ऐसे कार्य/मद/गतिविधि के लिए इंजीनियरिंग प्राक्कलन तैयार किया जा सकता है।

बी4.2.8 एक बार जब *एन आई टी* लागत प्राक्कलन तैयार कर लिया जाता है तो निम्नलिखित को छोड़ कर, उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं किया जाएगा :

क) जब *एन आई टी* लागत प्राक्कलन पर हस्ताक्षर करने के महीने तथा एन आई टी के वास्तव में जारी किए जाने वाले महीने के बीच, उपरोक्त बी4.2.4 के अधीन रहते हुए, 6 महीनों से अधिक का अंतर हो;

ख) बोलियाँ आमंत्रित करने हेतु विचार किए जाने वाले बिल ऑफ़ क्वान्टिटी *(बी ओ क्यू)* में नई/ अतिरिक्त/और जोड़ दी गई/प्रतिस्थापित/वर्तमान मद के लिए विभिन्नता होती है। ऐसे मामलों में, ऐसी विभन्नता केलिए लागत प्राक्कलन को मूलतः मंज़ूर लागत प्राक्कलन में जोड़ दिया जाएगा।

:: अध्याय 4 समाप्त ::

अध्याय 5

बी5.0 बोली-दाताओं एवं उप-विक्रेताओं के लिए अर्हता सम्बन्धी अपेक्षाएं

बी5.1 अर्हता सम्बन्धी अपेक्षाओं *(क्यू आर)* का प्रयोजन यही है कि ऐसे बोली-दाताओं की पहचान की जा सके जो प्रापण किए जाने वाले माल/सेवाओं को देने का अनुभव रखते हैं।

बी5.2 अर्हता सम्बन्धी अपेक्षाओं हेतु सफल/असफल होने के मानदंडों को इस प्रकार बनाया जाएगा जिस से:

(क) संभव सीमा तक बोली दाताओं की पर्याप्त भागीदारी हो सके, तथा
(ख) स्वदेशी भागीदारी को बढावा मिले।

बी5.3 अर्हता सम्बन्धी अपेक्षाओं में उल्लिखित सफल/असफल होने के मानदंड को पूरा कर लेने मात्र से बोली-दाता को ठेका पाने का हक नहीं मिल जाता।

बी5.4 यदि उन्हें ठेका दिया जाता है तो, **पावरग्रिड** के आकलन के अनुसार, ठेका दिए जाने की पात्रता के लिए बोली-दाताओं के पास ठेके को पूरा करने की क्षमता एवं योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार, ऐसा आकलन करने के **पावरग्रिड** के अधिकार को अर्हता सम्बन्धी अपेक्षाओं का एक भाग मान लिया जाएगा।

बी5.5 स्वदेशी विक्रेताओं/ठेकेदारों(वेंडर्स) को बढावा देने के लिए क्यू आर में वैकल्पिक रास्ते दिए जाने चाहिए। यदि किसी मामले में, अन्यथा लागू होने वाली अर्हकारी अपेक्षाओं में, वैकल्पिक रास्ते के कारण छूट जरूरी हो जाती है तो अतिरिक्त वारंटी की ज़रुरत निर्दिष्ट की जानी चाहिए। उपरोक्त के अलावा, तकनीकी जानकारी के स्थानांतरण, टेक्नालाजिकल सहयोग, तकनीक की लाईसेंसिंग, कौशल विकास, उत्पादन सुविधाओं की भारत में स्थापना हेतु प्रावधान किए जाने चाहिए या इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

बी5.6 बोलियों/निविदाओं/आवेदनों/प्रस्तावों को देने की मूलतः निश्चित तारीख पर *क्यू आर* के सफल/असफल होने के मानदंड में, यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो तो मुख्यतः निम्नलिखित बातें शामिल रहेंगी:

(क) तकनीकी अनुभव: ऐसा अनुभव सामान्यतः एक निश्चित समयावधि में पूरी होती हुई परियोजनाओं/ठेकों पर आधारित होगा।
(ख) वित्तीय स्थिति: इस में सामान्यतः वार्षिक कारोबार, चल परिसंपत्ति/ऋण तक पहुँच या उसकी उपलब्धता, शुद्ध मूल्य शामिल होगा आदि।

सामान्यतः *क्यू आर* में कारोबार, चल परिसंपत्तियों और शुद्ध मूल्य की अपेक्षाएं सभी पैकेज़िज़(*डी सी बी/जी आई एफ बी/आई सी बी*) हेतु निम्नलिखित से तय की जाएंगी:

क्यू आर(एम ए ए टी) की न्यूनतम औसत सालाना कारोबार की अपेक्षा	(लागत प्राक्कलन X 1.5)/पूरा होने की अवधि, वर्षों में। (*एम ए ए टी* को निश्चित करने के प्रयोजन के लिए अनावर्ती आय, अर्थात स्थिर परिसंपत्ति की बिक्री को छोड़ कर, कुल आय को हिसाब में लिया जाएगा।)। और भी, एम ए ए टी का हिसाब लगाने के लिए पूरा किए जाने की अवधि 1 वर्ष मानी जाएगी चाहे संविदा-गत अवधि 1 साल से कम की ही हो।
क्यू आर(एल ए) की चल परिसंपत्ति की अपेक्षा	(लागत प्राक्कलन X 3) पूरा होने की अवधि महीनों में। (*एल ए* को निश्चित करने के प्रयोजन के लिए परिसंपत्तियों में से माल-सूचियों को घटा कर हिसाब लगाया जाएगा) और भी, *एल ए* का हिसाब लगाने के लिए पूरा करने की अवधि 12 महीने की मानी जाएगी चाहे संविदा-गत अवधि 12 महीनों से कम की ही क्यों न हो।
क्यू आर की शुद्ध मूल्य की अपेक्षा	पिछले तीन वित्त वर्षों का शुद्ध मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।

उपरोक्त लागत प्राक्कलन में, यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो तो कर तथा शुल्क शामिल होंगे।

बी5.14 तथा बी5.15 में यथा उल्लिखित क्यू आर समिति अर्हकारी अपेक्षाओं में, उपरोक्त वित्तीय स्थिति के मानदंडों में बढ़ा या किसी को घटा कर उपयुक्त बदलाव कर सकती है जिस के लिए औचित्य अभिलेखित किया जाएगा।

रु. 5 करोड़ से कम के लागत प्राक्कलन वाले पैकेज हेतु चल परिसंपत्ति तथा शुद्ध मूल्य वाले मानदण्डों की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) निर्माण/उत्पादन/मरम्मत तथा रख-रखाव/बिक्री बाद की सेवाएँ आदि हेतु प्रापण की प्रकृति, अर्थात उपकरण/सुविधा/क्षमता/ अनुभव आदि से सम्बंधित कोई और मान-दंड।

बी5.7 एक बार जब निविदाएं/रूचि की अभिव्यक्ति/पूर्व-अर्हता के लिए आवेदन हेतु सूचना जारी/प्रकाशित कर दी जाती है तो *क्यू आर* के सफल/असफल होने के मानदंड में, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, सामान्यतः संशोधन नहीं किया जाएगा:

(क) कार्य के विस्तार/पूरा होने की अवधि/किसी अन्य कारण से *एम ए ए टी* तथा *एल ए* में 15% से अधिक का परिवर्तन (कमी या बढ़ोतरी)।

(ख) व्याख्याओं में संदिग्धता दूर करने के लिए कोई ऐसा परिवर्तन जिससे क्यू आर का आशय परिवर्तित न हो।

ऐसे संशोधनों/परिवर्तनों की सूचना, मूल आमंत्रण/नोटिस के शुद्धि-पत्र द्वारा उसी माध्यम/उसी ढंग से प्रकाशित(सूचित) की जाएगी जिसमें मूल को प्रकाशित किया गया था।

ऐसे संशोधन/परिवर्तन के बावजूद *क्यू आर* पूरा करने की तारीख, बोलियाँ/निविदाएं/आवेदन/प्रस्ताव देने की मूलतः निश्चित तारीख वाली ही रहेगी।

बी5.7.1 तथापि, प्रापण की विषय-वास्तु के हित में *क्यू आर* में किसी अन्य कारण से भारी बदलाव आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण हो जाने पर, नीति-गत मामले के तौर पर, मूल आमंत्रण/नोटिस का शुद्धि-पत्र जारी किया जाएगा या आमंत्रण/ नोटिस रद्द कर दिया जाएगा और नया आमंत्रण/नोटिस जारी किया जाएगा।

क्यू आर में ऐसे भारी बदलाव के मामले में, *क्यू आर* पूरा करने की तारीख पुनः निश्चित की जाएगी जो वही होगी जो बोलियाँ/निविदाएं/आवेदन/प्रस्ताव देने की पुनः निश्चित की गई तारीख होगी।

बी5.8 उन उप-विक्रेताओं/उप-ठेकेदारों/एसोशिएट्स (यदि लागू हो) के लिए *क्यू आर* को, जो बोली-दाताओं हेतु *क्यू आर* में शामिल नहीं हैं, तकनीकी विनिर्देशों या इंडेंटिंग विभाग द्वारा तैयार ऐसे अन्य प्रलेख में शामिल किया जाएगा। ऐसे क्यू आर में सामान्यतः अनुभव सम्बन्धी अपेक्षा तथा इन्डेन्टिंग विभाग द्वारा आवश्यक समझी गई अन्य कोई अपेक्षा, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह निरोधात्मक नहीं है, शामिल होगी। और भी, यह जरूरी नहीं होगा कि विनिर्दिष्ट क्यू आर को उप-विक्रेता/उप-ठेकेदार बोली खोले जाने की मूल/वास्तविक तारीख को यथा-स्थिति पूरा करे। यदि प्रस्तावित उप-विक्रेता/उप-ठेकेदार, ठेका दिए जाने की तारीख को यथा-स्थिति *क्यू आर* को पूरा करता है तो उस पर विचार किया जाएगा।

बी5.9 बोली-दाता के *क्यू आर* को, बोली में दिए गए डाटा के आधार पर अभिनिश्चित किया जाएगा। इस के लिए बोली-दाता को अपनी बोली की अपेक्षित घोषणा के साथ, कंपनी के 'की मैनेजिरियल पर्सोनल' *(के एम पी*) अर्थात सीईओ/प्रबंध निदेशक/कंपनी सचिव/निदेशक/सीएफओ /पार्टनरशिप फर्म होने की दशा में साझेदारों में से किसी/कंपनी या फर्म के मामलों में प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियां रखने वाले किसी अधिकारी द्वारा इस आशय की घोषणा भी लगानी होगी कि *क्यू आर* का डाटा सत्य तथा सही है। यह सत्य स्थापित करने के लिए कि उल्लिखित ठेका (संविदा) दिया गया है और पूरा कर दिया गया है, ठेके/कार्य सौंपने के पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति ली जाएगी। अन्य सभी प्रयोजनों के लिए, स्व-घोषणा में यथा दिए गए विशिष्ट विषय स्वयं में पर्याप्त समझे जाएँगे। वित्तीय स्थिति को, यथा लागू लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार से अभिनिश्चित किया जाएगा। स्थल पैकेज़िज़ के लिए, कोई अन्य उपयुक्त प्रलेख, जैसे लेखा-परीक्षक का प्रमाणपत्र, *आई टी आर* आदि स्वीकार किये जा सकते हैं। ऐसा डाटा/घोषणा, बोली दिए जाने के बाद के स्पष्टीकरण के माध्यम से भी माँगा जा सकता है।

बी5.9.1 **पावरग्रिड** स्थल पर जा कर *क्यू आर* की प्रत्यापक-योग्यता (क्रीडेनशल्स) की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि किसी भी समय **पावरग्रिड** के ध्यान में यह बात आती है कि अपनी घोषणा/शपथ पत्र में बोली-दाता द्वारा दिया गया *क्यू आर* कोड प्रामाणिक नहीं है तो उस पर, जहाँ कहीं भी लागू हो, सत्य-निष्ठा संधि (इंट्रागिटी पैक्ट) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई होगी। यदि सत्य-निष्ठा संधि लागू नहीं होती है तो सी एम डी/का.नि. (क्षेत्र) के अनुमोदन से, क्रमशः कारपोरेट केंद्र/क्षेत्र द्वारा सम्हाले जा रहे पॅकेज डील हेतु गठित समिति द्वारा जांच की जाएगी। इस मामले में और आगे कार्रवाई क्रमशः सी एम डी/का.नि.(क्षेत्र) के अनुमोदन से उसी प्रकार की जाएगी जो सत्य-निष्ठा संधि में दी गई है।

बी5.9.2 यदि बाहरी स्वतन्त्र मानिटर(*आई ई एम)* पैनल या सत्य-निष्ठा संधि लागू नहीं होने पर उपरोक्त के अनुसार क्रिया-विधि का प्रयोग करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि बोली-दाता ने अनैतिक कार्य किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तथ्यों को गलत ढंग से पेश करना, मिथ्या/या जाली विवरण/प्रलेख/घोषणा भी शामिल हैं, तो उसे **पावरग्रिड** की निविदाओं में भाग लेने से 1 से 3 वर्षों के लिए, जो भी उचित समझा जाए, अयोग्य करार ठहराया जाएगा तथा उसके खिलाफ उचित समझी गई कार्रवाई के अतिरिक्त उसकी बोली की सिक्योरिटी/ठेका निष्पादन गारंटी जब्त कर ली जाएगी।

बी5.10 यदि बोली-दाताओं के **पावरग्रिड** की परियोजनाओं से सम्बंधित क्यू आर अनुपालन हेतु *क्यू आर* डाटा/प्रलेख **पावरग्रिड** के पास पहले से ही हैं तो उन्हें ही बोली-दाता के *क्यू आर* अनुपालन के लिए मान लिया जाएगा, चाहे ऐसा बोली में घोषित किया गया हो या न किया गया हो।

बी5.11 *क्यू आर* अनुपालन का पता लगाने में न्यूनतम समय लगे, इस के लिए विभिन्न बोली-दाताओं के *क्यू आर* डाटा का डाटा बेस बनाया जाएगा।

बी5.12 **पावरग्रिड** द्वारा सम्हाले जा रहे कारोबार की पुनरावृति वाली प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, वित्त-पोषण के प्रकार की परवाह किए बिना, पैकेज़िज़ के लिए मानक क्यू आर अपनाया जाना चाहिए और कारपोरेट व् स्थल पैकेज़िज़ हेतु इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

बी5.13 ऐसे सभी स्थल पैकेज़िज़ के लिए, जिनका दायरा कारपोरेट प्रकृति से मिलता-जुलता है, *क्यू आर* को कारपोरेट पैकेज़िज़ के लिए अपनाए गए क्यू आर के आधार पर उस सीमा तक तय किया जाएगा जिस सीमा तक वह सम्बंधित और लागू है।

बी5.14 सभी कारपोरेट पैकेज़िज़ के लिए *क्यू आर/मानक क्यू आर* को एक *क्यू आर समिति* द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा जिस में निदेशक (परियोजनाएं) अध्यक्ष होंगे तथा का. नि. (इंजी.) सदस्य-सचिव होंगे। निदेशक (वित्त) तथा का.नि. (संविदा सेवाएं) भी क्यू आर समिति के अन्य सदस्य होंगे। अपने पैकेज केलिए मांग विभाग (इंडेंटिंग डिपार्टमेंट) के प्रमुख भी क्यू आर समिति के सदस्य होंगे। तथापि, ज़रुरत होने पर सी एम डी *क्यू आर समिति* में अतिरिक्त सदस्य को जोड़ सकते हैं या इस में उपरोक्त सदस्यों में से किसी का स्थानापन्न दे सकते हैं। तथापि,मांग विभाग के का. नि. के अनुमोदन से मानक *क्यू आर* में आधारित *क्यू आर* अपनाया जाएगा।

बी5.15 सभी स्थल पैकेज़िज़ के लिए *क्यू आर/मानक क्यू आर* एक समिति द्वारा तय किया जाएगा जिस में महा प्रबंधक (परियोजना) या का. नि. द्वारा क्षेत्रीय मुख्यालय में प्राधिकृत किसी अन्य महाप्रबंधक के अनुमोदन से क्षेत्रीय कार्यालय से सी एण्ड एम, इंजीनियरिंग एवं वित्त से न्यूनतम डी जी एम स्तर के अधिकारी रहेंगे। समिति के संयोजक इंजीनियरिंग के प्रमुख रहेंगे। परिसंपत्ति प्रबंधन (ए एम) क्षेत्र की परियोजनाओं के मामले में, *ए एम् विभाग* का न्यूनतम डी जी एम स्तर का अधिकारी भी उक्त समिति का सदस्य होगा। तथापि, *मानक क्यू आर* पर आधारित क्यू आर को, माँग विभाग के न्यूनतम डी जी एम स्तर के अधिकारी के अनुमोदन से अपनाया जा सकता है।

:: अध्याय 5 की समाप्ति ::

अध्याय 6

बी6.0 बोली देने सम्बन्धी प्रलेख

बी6.1 सामान्यतः विभिन्न प्रकारों(जैसे सप्लाई/सप्लाई व स्थापना/सिविल पैकेज आदि), बोली देने के विभिन्न तरीकों(जैसे स्वदेशी प्रतिस्पर्धी बोली देना/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली देना आदि) तथा मदों की विभिन्न किस्मों(जैसे टावर/ए आई एस उप-केंद्र/जी आई एस उप-केंद्र/कंडक्टर/इन्सूलेटर आदि) के प्रापण के लिए यथा संभव मानक बिडिंग प्रलेख रहेगा। छोटी कीमत के प्रापणों हेतु एस बी डीज का सरलीकरण किया जाएगा और उस में केवल अनिवार्य शर्तें रहेंगी।

बी6.2 किसी विशिष्ट प्रापण के लिए पहली बार तैयार किए गए बोली सम्बन्धी प्रलेखों को सामान्यतः ऐसे प्रापणों के लिए एस बी डी माना जाएगा। एस बी डी शर्तों को सामान्यतः, उपयुक्त संशोधनों के साथ विश्व बैंक के एस बी डीज के अनुरूप माना जाएगा।

बी6.3 बोली सम्बन्धी प्रलेखों के महत्वपूर्ण संघटकों पर मार्ग-निर्देश निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं।

बी6.3.1 सामान्य

(i) बोली सम्बन्धी प्रलेखों को इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि उनमें: बोली के लिए आमंत्रण/निविदा आमंत्रित करते हुए सूचना/बोलियों (*एन आई टी/आई एफ बी*) हेतु आमंत्रण; बोली-दाताओं के लिए अनुदेश (*आई टी बी*) तथा बिड डाटा शीट(*बी डी एस*); बोली का फार्म या पत्र; ठेके(सम्विदा) का फार्म; ठेके(संविदा) (सामान्य तथा विशेष/ख़ास, दोनों) की शर्तें अर्थात *जी सी सी/एस सी सी/पी सी*, तकनीकी विनिर्देश (*टी एस*) तथा आरेख(ड्राइंग्स); सम्बंधित तकनीकी डाटा(भौगोलिक तथा पर्यावरणीय दशाएं), क्वालिटी की योजनाएं, पालन किए जाने वाले भारतीय/अंतर-राष्ट्रीय मानक, माल की सूची या बिल ऑफ़ क्वान्टिटीज (*बी ओ क्यू*); डिलीवरी समय या पूरा होने का समय; तथा आवश्यक अनुलग्नक यथा विभिन्न प्रतिभूतियों हेतु फोर्मेट/नोटिफिकेशन ऑफ़ अवार्ड(*एन ओ ए*)/ठेके का करारनामा (*सी ए*) आदि शामिल होंगे।

(ii) बोली सम्बन्धी प्रलेखों के लिए ली जाने वाली फीस उचित होगी तथा इतनी ऊंची नहीं होगी कि उस से संभावित बोली-दाता हतोत्साहित हो जाएं। सीमित तथा एकल निविदा आमंत्रण एवं फुटकर प्रापण हेतु फीस माफ़ कर दी जाएगी।

(iii) बोली देने के कागज़ात अ-हस्तांतरणीय होंगे तथा बोलियाँ केवल उन्हीं संभावित बोली-दाताओं से ही स्वीकार की जाएंगी जो बोली सम्बन्धी कागज़ात की अपेक्षित कीमत देंगे। यह बात उन बोली-दाताओं पर लागू नहीं होती है जो बोली के कागज़ात की कीमत देने से छूट-प्राप्त हैं।

(iv) बोली सम्बन्धी कागजात बांटने/बेचने के लिए सामान्यतः ई-प्रापण/इलैक्ट्रोनिक प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। बोली के कागजात में बदलाव से बचाव हेतु इलेक्ट्रानिक प्रणाली को सुरक्षित किया जाएगा तथा साथ ही, यह बोली के कागज़ात तक बोली-दाताओं की पहुँच को बाधित करने वाली भी नहीं होगी।

बी6.3.2 बोलियों की वैधता तथा बोली की प्रतिभूति

(i) बोलियाँ सामान्यतः ऐसी अवधि(आम तौर पर 6 महीने तथा अपवाद-स्वरुप इस से अधिक) हेतु वैध रहेंगी जो नियोक्ता/खरीदार द्वारा उसी अवधि में ठेका दिए जाने के लिए काफी होगा। जहाँ कहीं भी उचित माना जाए, लघुतर वैधता अवधि विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

(ii) सभी बोलियों के साथ अपेक्षित बोली-प्रतिभूति/ज़मानती जमा राशि ज़रूर होगी। यदि प्रतिस्पर्धा के हित में ऐसा करना ज़रूरी हो तो इसे माफ़ भी किया जा सकता है; लेकिन ऐसा एकल/सीमित टेंडरिंग, फुटकर प्रापण; या भारत सरकार की वर्तमान में प्रचलित नीति के अनुसार एन एस आई सी आदि के साथ पंजीकृत बोली-दाताओं द्वारा दी गईं बोलियों के मामले में ही ऐसा किया जा सकता है।

(iii) बोली की प्रतिभूति, बोली के कागजात में विनिर्दिष्ट राशि तथा रूप में होगी एवं बोलियों हेतु वैधता की अवधि से (सामान्यतः) 30 दिनों आगे तक वैध रहेगी।

बी6.3.3 बोली के कागज़ात/विनिर्देशों की स्पष्टता

(i) डिलीवर किए गए उपकरणों, या पूरे किए गए कार्य की विनिर्देशों से अनुरूपता की पुष्टि जांचने के लिए परखें, मानक तथा पद्धतियाँ तय की जाएंगी।

(ii) कारकों जैसे गारण्टी-शुदा हानियाँ आदि को, मूल्यों के अलावा बोलियों का मूल्यांकन करने में यदि प्रयोग में लाया जाना हो तो यह बात विनिर्दिष्ट की जाएगी। जहाँ कहीं भी वैकल्पिक डिजाइनों, सामग्रियों, काम पूरा होने के कार्य-क्रमों, भुगतान की शर्तों आदि पर आधारित बोलियाँ अनुमत होती हैं तो उनकी स्वीकार्यता की शर्तें और उनके मूल्यांकन की पद्धति व्यक्त रूप से बताई जाएगी।

बी6.3.4 मानक

(i) तकनीकी विनिर्देशों/ नियोक्ता/खरीदार की अपेक्षाओं में उल्लिखित मानक तथा विनिर्देश सर्वाधिक संभव व्यापक प्रतिस्पर्धा को बढाने वाले होंगे और साथ ही प्रापण के अधीनस्थ माल और/या कार्यों हेतु महत्वपूर्ण निष्पादन या अन्य अपेक्षाओं को सुनिश्चित करेंगे।

(ii) जहाँ तक संभव हो, राष्ट्रीय/अंतर-राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानक विनिर्दिष्ट किए जाएँगे जिनके अनुरूप उपकरण या सामग्री या कारीगरी(वर्कमैनशिप) होगी।

(iii) जहाँ कहीं भी कार्यों की लागत ***सी पी डब्ल्यु डी/डी एस आर*** *डाटा* पर आधारित हो, वहां संभव सीमा तक ***सी पी डब्ल्यु डी*** के विनिर्देशों का पालन किया जाए।

बी6.3.5 ब्राण्ड नामों का प्रयोग

(i) ब्राण्ड नामों, कैटलॉग नंबरों या इसी प्रकार के वर्गीकरण का उल्लेख करने से यथा-संभव सीमा तक बचा जाना चाहिए।

(ii) अन्यथा अधूरे विनिर्देश को स्पष्ट करने के लिए किसी विशेष उत्पादक के ब्राण्ड नाम या कैटलॉग नंबर का जिक्र करना ज़रूरी हो तो ऐसे दिए गए संदर्भ के बाद 'या समकक्ष' शब्द जोड़ दिए जाएँगे। ऐसा विनिर्देश ऐसे माल हेतु ऑफर की स्वीकृति को अनुमत-योग्य बना देगा जिसकी विशेषताएं मिलती-जुलती होंगी और जो विनिर्दिष्टों के काफी बराबर का निष्पादन देंगे।

(iii) ब्राण्ड नाम वाले ऐसे विशिष्ट माल के लिए जिसका कोई समकक्ष नहीं है, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली/इलैक्ट्रानिक सामान/एफ एम सी जी/वाहन/फर्नीचर/कार्यालय उपकरण आदि के तकनीकी विनिर्देश/ नियोक्ता/खरीदार की अपेक्षाएं जारी करने से पहले, इस के समर्थन में व्यापक औचित्य दिया जाएगा। साथ ही, वर्तमान/अन्य प्रणालियों तथा ब्राण्ड-वाली मदों में पिछले निवेशों के साथ सुसंगतता का आधार भी देना होगा।

बी6.3.6 मूल्य-निर्धारण

(i) विदेशी बोली-दाता द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे, विदेशों में उत्पादित तथा भारत में आयात किए जाने वाले सारे माल के लिए बोलियाँ *सी आई पी* (उतराई की पोर्ट या सीमा प्रवेश पॉइंट)/ *सी आई एफ* तथा देश के अन्दर गंतव्य के स्थान तक परिवहन एवं बीमे के आधार पर आमंत्रित की जाएंगी। बोली-दाताओं को समुद्री तथा अन्य परिवहन एवं सम्बंधित बीमे का प्रबंध, सम्बंधित मार्ग-निर्देशों (यदि कोई हों), के अधीन रहते हुए स्वयं करना होगा। यथा लागू ये मार्ग-निर्देश, सड़क परिवहन मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए होंगे। *सी आई पी/सी आई एफ* मूल्यों में सीमा-शुल्क तथा तथा अन्य आयात शुल्क शामिल नहीं होंगे।

(ii) भारत में उत्पादित या भारत से प्राप्त किए गए(खरीदे गए), भारतीय या विदेशी बोली-दाता द्वारा ऑफर माल के लिए बोलियाँ '*ई एक्स डब्ल्यु*'(कारखाना-एतर, फक्ट्री-एतर या ऑफ़-द-शेल्फ) आधार पर तथा गंतव्य स्थान तक देश में परिवहन और बीमा के साथ आमंत्रित की जाएंगी। ऐसे माल के मूल्य में, यथा लागू सभी कर एवं शुल्क शामिल होंगे। तथापि, केवल बोली-दाता द्वारा भारत में खुद ही उत्पादित माल के मामले में (प्रत्यक्ष सौदा), मूल्यों में सीमा-शुल्क एवं बिक्री कर (*सी एस टी/वी ए टी*) शामिल नहीं होंगे।

(iii) भारतीय बोली-दाता द्वारा दिए जा रहे, तैयार आयातित माल के लिए बोलियाँ *ई एक्स डब्ल्यु*(ऑफ़ द शेल्फ) के आधार पर एवं गंतव्य स्थान तक देश में परिवहन और बीमा के साथ आमंत्रित की जाएंगी। मूल्यों में सभी कर तथा शुल्क शामिल होंगे।

(iv) खुले समुद्र में बिक्री(हाई सी सेल्स) की अनुमति नहीं होगी।

(v) स्थापना करने, चालू करने या सिविल कार्यों सहित इसी प्रकार की अन्य सेवाओं के मूल्य में सभी सीमा-शुल्क, कर तथा अन्य लेवीज़ शामिल होंगे। तथापि, सर्विस ठेकों जैसे हाउस-कीपिंग, वाहनों को किराए पर लेना आदि, विशेष

रूप से क्षेत्रों/स्थलों पर और जहाँ छोटी एजेंसियां संलग्न होती हैं, बोलियाँ सेवा कर के बिना आमंत्रित की जा सकती हैं।

(vi) बताए गए मूल्य, माल पर प्रवेश कर/चुंगी रहित होंगे।

बी6.3.7 मूल्य समायोजन

(i) बोली देने के कागज़ात में यह बताया जाएगा कि **(क)** बोली में दी गई कीमतें नियत रहेंगी(एक निश्चित मूल्य आधार) या **(ख)** ठेके(संविदा) के बड़ी लागत वाले संघटकों, जैसे लेबर, उपकरण, सामग्रियां तथा ईंधन आदि में कोई बदलाव होने पर मूल्य समायोजन किए जाएँगे (परिवर्तनीय मूल्य आधार)।

(ii) बारह महीनों के अन्दर और इन्हें मिला कर माल की डिलीवरी या कार्य के पूरा होने वाले ठेकों (संविदाओं) में मूल्य समायोजन के प्रावधान सामान्यतः आवश्यक नहीं हैं, लेकिन जब कभी भी इस के लिए फार्मूला और प्रकाशित सूचक उपलब्ध होंगे, तो ये प्रावधान उन ठेकों में शामिल होंगे जो बारह महीनों से आगे के हैं। टॉवर के हिस्सों और चालकों/ केबल/ ट्रांसफार्मर्स/ रिएक्टर की सप्लाई हेतु मूल्य, कार्य पूरा होने के कार्यक्रम का ध्यान किए बिना परिवर्तनशील आधार पर आमंत्रित किए जाएंगे। और भी, काफी इस्पात संघटक जैसे पाइल फाउन्डेशन जैसे उच्च मूल्य वाले सिविल कार्यों के मामले में भी, कार्य पूरा होने के कार्यक्रम का ध्यान किए बगैर परिवर्तनशील आधार पर मूल्य आमंत्रित किए जाएंगे।

(iii) वैश्विक स्तर पर जुडी अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों की अस्थिरता के कारण सट्टेबाजी से बचने के लिए, दिए गए मूल्यों के प्रतिशत के रूप में मूल्य समायोजन किसी सीमा के अधीन नहीं होगा।

(iv) मूल्यों के समायोजन का फार्मूला आमतौर पर *आई ई ई एम ए* या किसी अन्य मान्यता-प्राप्त एजेंसी द्वारा सुझाया गया होगा।

बी6.3.8 बोली की मुद्रा

सभी बोली-दाताओं को मूल्य केवल भारतीय रुपयों में देने होंगे।

बी6.3.9 भुगतान की मुद्रा

(i) यदि संविदा(ठेके) में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो तो ठेके के मूल्यों का भुगतान, संविदा में विनिर्दिष्ट मुद्रा में किया जाएगा।

(ii) यदि विदेशी बोली-दाताओं द्वारा अपनी बोली में ऐसा विकल्प दिया गया है तो विदेशों से सप्लाई किए गए उपकरणों हेतु, विदेश में किए जाने वाले टाइप टैस्ट के लिए टाइप टेस्टिंग शुल्क तथा निर्वासित कर्मियों हेतु शुल्क, यदि कोई हो, के लिए विदेशी बोली-दाताओं को भुगतान सरलता से परिवर्तनीय मुद्रा (मुद्राओं) में किया जा सकता है। यह भुगतान भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निश्चित की गई मुद्रा विनियमों की उस बिल्स क्लीयरिंग सैलिंग मार्किट दर (*एम आर इ*) के आधार पर होगा जो भुगतान की तारीख को चल रही होगी। ऐसे मामले में, विदेशी मुद्रा-विनिमय हेतु वायर शुल्क सहित सभी शुल्क विदेशी बोली-दाता /ठेकेदार(संविदाकार) द्वारा वहन किए जाएँगे।

बी6.3.10 भुगतान की शर्तें तथा पद्धतियाँ

(i) सामान्यता माल की सप्लाई पर भुगतान साख-पत्र के माध्यम से किया जाएगा। तथापि, यदि बोली-दाता/ठेकेदार द्वारा बोली में या कार्य पूरा करने के दौरान ऐसा अनुरोध किया गया हो तो भुगतान सीधे ही ठेकेदार को देने में कोई आपत्ति नहीं होगीं।

(ii) संविदा में उपयुक्त ब्याज वाली पेशगियों के प्रावधान हो सकते हैं, उस दशा में पेशगी भुगतान दी जाने वाली राशि के 110% की रकम की बैंक गारण्टी पर किया जाएगा। पेशगी की राशि में परिवर्तन, अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक की मंज़ूरी से किया जाएगा।

बी6.3.11 पेशगी पर ब्याज

पेशगी पर ब्याज, पेशगी आहरण की तारीख को यथा-स्थिति भारतीय स्टेट बेंक की प्रचलित बेस दर के 200 बेसिस प्वाईंट *(बी पी एस)* के ऊपर का रहेगा।

बी6.3.12 निष्पादन प्रतिभूति तथा धारिता राशि

(i) संविदा निष्पादन गारण्टी सामान्यतः संविदा मूल्य की 10% की होगी।

(ii) कार्यों/सिविल कार्यों तथा स्थल पैकेज़िज़ के मामले में निष्पादन प्रतिभूति एवं धारिता राशि निम्नलिखित के अनुसार होगी:

- (क) संविदा मूल्य के 10% की संविदा निष्पादन गारण्टी; या
- (ख) प्रत्येक आवधिक भुगतान के प्रतिशत हेतु प्रावधान को धारिता राशि के तौर पर तब तक रखना जब तक यह संविदा मूल्य के 10% तक नहीं पहुँच जाता; या
- (ग) दोनों का सम्मिश्रण अर्थात विशिष्ट प्रतिशत की संविदा निष्पादन गारंटियां तथा शेष को प्रत्येक भुगतान में से धारिता राशि के रूप में तब तक रखना जब तक कि दोनों का योग संविदा मूल्य के 10% तक नहीं पहुँच जाता। अनंतिम स्वीकृति के बाद ठेकेदारों को धारिता राशि को बदल कर बैंक गारण्टी के रूप में सामान प्रतिभूति देने की अनुमति दी जा सकती है।

बी6.3.13 परिनिर्धारित नुक्सान

विलंब हेतु परिनिर्धारित नुक्सान केलिए एक उचित राशि (सप्लाई-व-स्थापना/खड़ा करने के ठेके के मामले में संविदा मूल्य के 5% तक एवं सप्लाई के ठेके के मामले में 10%) का प्रावधान किया जाएगा।

बी6.3.14 संविदा(ठेके) का विभक्तन

एकल पैकेज के अंतर्गत संविदा को विभाजित करने हेतु उपयुक्त प्रावधान, जहाँ कहीं भी ज़रुरत हो, बोली के कागज़ात में शामिल किया जाएगा। ऐसे मामले में विभाजन का अनुपात दो या अधिक बोली-दाताओं के बीच पहले से उजागर और विनिर्दिष्ट कर दिया जाएगा।

:: अध्याय 6 की समाप्ति ::

अध्याय 7

बी7.0 प्रापण की पद्धतियाँ

बी7.1 प्रापण की ज़रुरत और उसकी परिस्थितियों के मेल में, पैकेज सूची में बताई जाने वाली उपयुक्त प्रापण पद्धतियों का प्रयोग, यहाँ नीचे दिए गए मार्ग-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

बी7.2 खुली प्रतिस्पर्धा वाली बोली-देना/खुली निविदा आमंत्रण

बी7.2.1 सामान्य नीति के तौर पर खुली प्रतिस्पर्धा वाली बोली(ओ सी बी)/खुली निविदा आमंत्रण *(ओ टी आई)*, बोली देने के पसंदीदा साधन होंगे।

बी7.2.2 *ओ सी बी/ओ टी आई* को अपनाते हुए, स्वदेशी प्रतिस्पर्धी बोली-देने को अपना कर स्वदेश में उत्पादित माल एवं स्वदेशी ठेकेदारों (संविदाकारों) को बढावा दिया जाएगा।

बी7.2.3 *ओ सी बी/ओ टी आई* हेतु आमंत्रण का खूब प्रचार किया जाएगा।

बी7.2.4 खुली निविदा आमंत्रण पर केवल एक ही उत्तर को, *डी ओ पी* के प्रयोजन के लिए खुली निविदा का मामला माना जाएगा।

बी7.3 सीमित प्रतिस्पर्धी बोली-देना/सीमित निविदा आमंत्रण

बी7.3.1 सीमित प्रतिस्पर्धी बोली-देने(*एल सी बी*) के अंतर्गत, सीमित निविदा आमंत्रण कहे जाने वाले बोली देने के आमंत्रण*(एल टी आई आई)* को, साथ-साथ केवल चुनी गईं फर्मों को उपलब्ध कराया जाएगा।

बी7.3.2 *एल सी बी/एल टी आई* को वहां उचित मन जाएगा जहाँ:

(i) आकलित लागत(करों तथा शुल्कों को निकल कर) रु. 50 लाख से कम है। *एल सी बी* को वहां भी अपनाया जा सकता है जहाँ आकलित लागत नीचे दिए (ii) तथा (iii) वाले मामलों में रु. 50 लाख से अधिक है।

(ii) विशिष्टता वाले और महत्वपूर्ण प्रकृति के प्रापण के मामले में तत्काल प्रापण की ज़रुरत है।

(iii) प्रापण का स्रोत निश्चित रूप से परिचित है तथा अतिरिक्त स्रोत (स्रोतों) की सम्भावना बहुत कम है।

बी7.3.3 *एल सी बी/एल टी आई* के अंतर्गत, बोलियाँ 3 या अधिक सप्लायरों/ठेकेदारों से आमंत्रित की जाएंगी और 3 से कम सप्लायरों/ठेकेदारों के मामले में, उस के लिए कारण तथा औचित्य अभिलेखित किए जाएँगे एवं कार्पोरेट पैकेज/क्षेत्रीय पैकेज के लिए सीएमडी/का.नि.(क्षेत्र) की मंज़ूरी ली जाएगी। *एल सी बी/एल टी आई* के प्रयोजनों के लिए मांग विभाग द्वारा सप्लायरों/ठेकेदारों की सूची अनुभव तथा विज्ञापन/रूचि के प्रदर्शन के आधार पर बनाए रखी जाएगी जो समय-समय पर और नियमित आधार पर, 3 साल में एक बार हो तो अच्छा है, जारी की जाती रहेगी। ऐसा विज्ञापन/रूचि की अभिव्यक्ति प्रैस के आलावा वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जा सकती है। तथापि, उपरोक्त प्रयोजन के लिए विज्ञापन/रूचि की अभिव्यक्ति ऐसे प्रापण के लिए ज़रूरी नहीं होगा जो दोहराए जाने की प्रकृति के नहीं हैं या जिनकी आकलित लागत रु. 5 लाख से कम है।

बी7.3.4 तथापि, एक एकल विज्ञापन में शामिल कर, रु. 50 लाख से कम की आकलित लागत पैकेज़िज़ हेतु *ओ टी आई* का प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

बी7.3.5 *एल टी आई* का प्रयोग ऐसे समाचार-पत्र में छोटा-सा विज्ञापन दे कर भी किया जा सकता है जिसमें विज्ञापन की लागत निषेधात्मक नहीं है।

बी7.4 एकल स्रोत वाला प्रापण

बी7.4.1 एकल स्रोत वाले प्रापण में, प्रापण केवल एक चुने हुए स्रोत से किया जाएगा जिस के लिए औचित्य, मांग विभाग द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

बी7.4.2 एकल स्रोत वाले प्रापण पर शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार विचार किया जाएगा और यह निम्नलिखित मामलों में उचित होगा:

(i) वर्तमान उपकरण के साथ अनुरूपता; या
(ii) अपेक्षित मद उपयुक्तता वाली है तथा केवल एक स्रोत से ही मिल सकती है; या
(iii) किसी उपकरण या संयंत्र या सुविधा के अपेक्षित निष्पादन को प्राप्त करने या प्रकार्यात्मक गारण्टी प्राप्त करने के लिए किसी विशेष माल का प्रापण एक विशिष्ट सप्लायर से करना ज़रूरी है; या
(iv) अपवाद स्वरुप मामलों में, जैसे कि प्राकृतिक आपदा में, किन्तु इसी तक सीमित नहीं; या
(v) स्रोत के मानकीकरण के मामले में प्रापण; या
(vi) विशेषज्ञता वाले परामर्श/कार्यों के लिए प्रसिद्ध संस्थाओं जैसे आई आई टी, आई आई एस सी आदि तथा सरकारी परामर्शी संस्था की सेवाएँ लेना; या
(vii) प्रापण की तात्कालिकता।

बी7.4.3 ऐसा अतिरिक्त प्रापण जो *ओ सी बी* के अंतर्गत की गई संविदा वाली सुविधाओं से सम्बद्ध नहीं है, उक्त संविदा की शर्तों, निबंधनों और दरों के आधार पर, अतिरिक्त प्रापण की ज़रुरत को पूरा करने के लिए डिलीवरी/समय के कार्यक्रम एवं उसी के अनुसार मूल्य समायोजन के साथ, एकल स्रोत वाला प्रापण माना जाएगा।

बी7.4.4 लागत का आकलन करने के प्रयोजन के लिए एकल स्रोत प्रापण हेतु प्राप्त की गई निर्ख को, फर्म/विक्रेता के साथ अपेक्षित संविदागत व अन्य सम्बन्ध-प्रबंध (टाई-अप) कर लेने के बाद कार्य सौंपने को तय करने का आधार भी माना जा सकता है।

बी7.5 फुटकर प्रापण/खुली खरीदारी(शापिंग) के माध्यम से प्रापण/दरों (कोटेशन) हेतु अनुरोध तथा स्थल पर खरीद

बी7.5.1 फुटकर प्रापण/खुली खरीदारी के माध्यम से प्रापण/दरों हेतु अनुरोध तथा स्थल पर खरीद का प्रयोग साधारणतया कम कीमत के प्रापण, कार्यालय में उपभोग की वस्तुओं, ऑफ़-द-शैल्फ ब्राण्ड-वाली मदों, कंज्यूमर्स डयूरेबल्स आदि एवं ऐसे किसी माल या कार्य या सेवा के लिए किया जा सकता है जिनकी रख-रखाव या आपात मरम्मत हेतु तत्काल ज़रुरत है।

बी7.5.2 प्रत्येक फर्म/विक्रेता को केवल एक ही कोटेशन देने की अनुमति होगी।

बी7.5.3 सामान्य मार्ग-निर्देशों के तौर पर स्थल कोटेशन तीन या अधिक पार्टियों से ली जाएंगी। यदि कोटेशनें प्राप्त नहीं होती हैं तो प्रधिकृत अधिकारी/समिती द्वारा उस पार्टी को आर्डर दिया जा सकता है जिसने समिति की राय में सबसे अधिक उचित मूल्य दिए हों।

बी7.5.4 उपरोक्त पद्धति से खरीदी गईं मदों के लिए उचित अभिलेख रखा जाएगा।

बी7.5.5 जहाँ मदें ई-कामर्स पोर्टल, जैसे फ्लिपकार्ट, एमेजोन, स्नैपडील आदि के माध्यम से प्राप्त की जानी संभव हैं, तो ऐसा प्रापण इन पोर्टलों से, रु. 2 लाख तक के मूल्य के प्रापण हेतु सामान्य नीति के तहत किया जा सकता है।

बी7.6 डी जी एस एण्ड डी दरों पर प्रापण

बी7.6.1 *डी जी एस एण्ड डी* दरों पर मदों/उपकरण/सेवाओं का प्रापण, अपेक्षित परिमाण का ध्यान किए बिना, ऐसी एकल एजेंसी आधार पर उन पार्टियों से किया जा सकता है जिनका *डी जी एस एण्ड डी* के साथ रेट कॉन्ट्रेक्ट है। प्रापण के आर्डर को विभिन्न एजेंसियों में बाँट देने की कोशिश की जानी चाहिए।

बी7.7 फ्रेमवर्क करारनामे/रेट कॉन्ट्रैक्ट्स

बी7.7.1 निम्नलिखित मामलों में रेट कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है:

(i) सामान्यतः प्रयोग में आने वाली ऐसी चीजें या सेवाएं जिनकी ज़रुरत बार-बार पड़ती है।
(ii) ऐसा माल या सेवाएँ जिनके मूल्यों के स्थिर रहने की सम्भावना है या जहाँ रेट कॉन्ट्रैक्ट इस प्रावधान के साथ किया जा सके कि कच्चे माल, मजदूरी आदि में आने वाले अंतर को हिसाब में लिया जाएगा।
(iii) ऐसे माल तथा सेवाएं जिन के लिए रेट कॉन्ट्रेक्ट का प्रयोग करना सुविधाजनक है।

बी7.7.2 ऐसे रेट कॉन्ट्रेक्ट शुद्ध डीलर मूल्य(एन डी पी) पर छूट, जहाँ कहीं भी लागू हो, के आधार पर किए जाने हैं।

बी7.7.3 रेट कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधि

रेट कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधि सामान्यतः दो वर्ष की होनी चाहिए जिसे आगे एक साल के लिए बढाया जा सके।

बी7.7.4 रेट कॉन्ट्रेक्ट की ठेका (संविदा) निष्पादन गारंटी, किए जाने वाले प्रापण के आकलित मूल्य के 10% की होगी।

बी7.8 टेंडरिंग/बोली देने की विधि (मार्ग)

बी7.8.1 स्वदेशी प्रतिस्पर्धी बिडिंग/ राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बिडिंग

बी7.8.1.1 स्वदेशी प्रतिस्पर्धा बिडिंग*(डी सी बी*)/राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बिडिंग(*एन सी बी*) पसंदीदा रास्ते होंगे। *डी सी बी/ एन सी बी* में केवल भारतीय हस्तियाँ ही, अर्थात वे हस्तियाँ ही बोली दे सकेंगी जो भारत के कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत निगमित की गई हस्तियाँ हों और भारतीय निवासियों की साझेदारी वाली/के स्वामित्व

वाली फर्म हों। इन में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा जिनके कारोबार पर भारत सरकार/**पावरग्रिड** द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

स्वदेशी/आंतरिक साधनों से वित्त-पोषित प्रापणों हेतु बोली देने को *डी सी बी* कहा जाएगा जबकि बहुपक्षीय/द्विपक्षीय/अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध साधनों/निधियों का प्रयोग कर किए गए प्रापण को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बिडिंग(*एन सी बी*) कहा जाएगा। *एन सी बी* के लिए, वित्त-पोषक एजेंसियों द्वारा निर्धारित मार्ग-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

बी7.8.2 वैश्विक प्रतिस्पर्धी बिडिंग/अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बिडिंग

बी7.8.2.1 वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली देने/अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली देने का प्रयोग, ऐसी मदों आदि केलिए खुली निविदा आमंत्रण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बिडिंग की भागीदारी चाहते हुए किया जाएगा जिन केलिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी/ क्षमता/ योग्यता की सीमाएं अपर्याप्त हैं।

स्वदेशी/आंतरिक साधनों से वित्त-पोषित प्रापणों के लिए बोली देने वालों हेतु वैश्विक स्तर पर बिडिंग की सुविधा को जी सी बी कहा जाएगा जबकि बहुपक्षीय/द्विपक्षीय/ अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए स्रोतों/निधियों का प्रयोग कर किए गए प्रापण को आई सी बी कहा जाएगा। जी सी बी के लिए, सभी देशों के बोली दाता पात्र होंगे सिवाय उनके, जिनके साथ व्यापार पर **भारत सरकार/पावरग्रिड** द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इनमें वे देश भी शामिल हैं जिन पर **भारत सरकार** ने देश-विशिष्ट प्रतिबन्ध (कंट्री स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन्स) लगा रखा है। *आई सी बी* केलिए वित्त-पोषक एजेंसियों द्वारा निर्धारित मार्ग-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

बी7.9 निविदा देने(टेंडरिंग)/बोली देने(बिडिंग) की पद्धति(प्रक्रिया)

बी7.9.1 **इलैक्ट्रानिक प्रापण(ई-प्रापण)**

बी7.9.1.1 प्रापणों का काम, समय-समय पर वर्तमान मार्ग-निर्देशों के अनुसार, संभव सीमा तक सुरक्षित इलैक्ट्रानिक साधन से किया जाएगा जिसे '*ई-प्रापण'/'ई-बिडिंग'* कहा गया है।

बी7.9.2.1. एकल चरण दो लिफाफे(एस एस टी ई) वाली बिडिंग पद्धति

एकल चरण दो लिफाफे(*एस एस टी ई*) बोली देने की पसंदीदा प्रक्रिया होगी जिस में बोली की प्रतिभूति, प्रकार्यात्मक गारंटियां/गारंटीशुदा पैरामीटर्स(पहला लिफाफा) सहित टेक्नो-कमर्शियल भाग हेतु ऑफर एवं मूल्यों का भाग(दूसरा लिफाफा) दो अलग-अलग लिफाफों में साथ-साथ देने होंगे। पहला लिफाफा पहले खोला जाएगा और बोली देने के कागज़ात के प्रावधानों के अनुसार इसकी अनुक्रियाशीलता निश्चित करने के लिए जाँच की जाएगी। बाद में, विनिर्दिष्ट *क्यू आर* को पूरा करने वाले एवं अपेक्षित क्षमता और योग्यता वाले आंके गए अनुक्रियाशील बोली-दाताओं के दूसरे लिफाफे और आगे प्रक्रिया के लिए खोले जाएँगे।

बी7.9.2.2 एकल चरण एकल लिफाफा बिडिंग पद्धति

पूर्व-अर्हकारी पार्टियों के बीच नामांकन आधार/एकल निविदा प्रापण/*एल टी आई* हेतु एकल चरण एकल लिफाफा(एस एस एस ई) बिडिंग पद्धति अपनाई जाएगी। और भी, प्राकृतिक आपदाओं/ विनाश या पारेषण प्रणाली के पुनर्स्थापन की तत्काल जरूरत होने पर एकल चरण एकल लिफाफा बिडिंग पद्धति अपनाई जा सकती है।

तथापि, पूर्व-अर्हकारी पार्टियों के बीच *एस एस टी ई* पद्धति अपनाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

बी7.9.2.3 दो चरणों वाली बिडिंग

जहाँ कहीं भी डिज़ाइन, सप्लाई और स्थापना हेतु या किसी सुविधा या संयंत्र या एक जटिल और विशेष प्रकृति के कार्य के लिए या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी या इसी प्रकारके कार्यों हेतु जो तीव्र प्रौद्योगिकी प्रगति के अधीन हैं और जहाँ तकनीकी विनिर्देश एवं वाणिज्यिक दशाएँ निश्चित/तय नहीं की जा सकतीं/ अनिश्चित हैं, एकल उत्तरदायित्व पर बडी जटिल सुविधाओं की ज़रुरत है वहां दो चरणों वाली बिडिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अनुसन्धान, परीक्षण, अध्ययन या विकास के प्रयोजनों केलिए प्रापणों के मामलों में द्वि-चरणीय बिडिंग प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

बी7.9.2.3.1 द्वि-चरणीय बिडिंग के अंतर्गत, पहले चरण की बोलियाँ मूल्यों का उल्लेख किए बिना टेक्नो-कमर्शियल बोलियाँ होंगी और दूसरे चरण की बोलियाँ, बिड प्रतिभूति के साथ मूल्यों की बोलियाँ होंगी।

दूसरे चरण(मूल्य) की बोलियाँ या तो एकल लिफाफे में या दो लिफाफों वाली पद्धति के अंतर्गत, जो भी उचित समझा जाए, आमंत्रित की जाएंगी। तथापि निमंत्रण, बोली-दाता द्वारा स्पष्टीकरण बैठकों के अनुसरण में जारी स्पष्टीकरणों और संशोधनों को स्वीकार किए जाने के अधीन होगा।

बी7.9.2.4 ईलेक्ट्रानिक रिवर्स ऑक्शन

“ईलेक्ट्रानिक रिवर्स ऑक्शन”(*इ-आर ए*), सफल बोली को सुनने केलिए ऑन-लाइन वास्तविक समय खरीद तकनीक है जिसमें समय की एक नियत अवधि में उत्तरोतर कम की गई बोली देने वाले बोली-दाताओं द्वारा प्रस्तुति की जाती है।

बी7.9.2.4.1 *इ-आर ए* में, ऐसे बोली-दाता इ-आर ए प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे जिनका अर्हकारी होना निश्चित कर लिया गया है और जो बोली देने की शर्तों का पालन करने वाले होंगे।

बी7.9.2.4.2 *इ-आर ए*, निदेशक-मंडल द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित मार्ग-निर्देशों के आधार पर संचालित किया जा सकेगा। इस प्रयोजन केलिए *इ-आर ए* हेतु प्रावधान बोली के कागज़ात में दिए जाएँगे।

बी7.10 सामान्य व्यवहार में, प्रापण केलिए बोली-देने के अर्हकारी-बाद की पद्धति अपनाई जाएगी। इस पद्धति के अंतर्गत बोलियों के साथ, बोली-दाताओं द्वारा क्यू आर अनुपालन का पता लगाने हेतु *क्यू आर* डाटा/विवरण मांगे जाएँगे।

बी7.11 ऐसे प्रापण के लिए जो अ-मानकीय, अ-नियमित, दोहराए जाने वाला न हो या अन्य मामलों में, यदि यह उचित माना जाए तो बोली देने की पूर्व-अर्हकारी पद्धति अपनाई जा सकती है।

बी7.12 प्रापण, विशेष रूप से विक्रेता विकास हेतु प्रापण, नए क्षेत्रों जिनमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिनमें संभावित बोली-दाता और भागीदारी के स्तर की आशा करना कठिन है, केलिए रूचि की अभिव्यक्ति*(ई ओ आई*) आमंत्रित की जा सकती है। रूचि की अभिव्यक्ति(*ई ओ आई*) में केवल ‘तकनीकी अनुभव’ और/या ‘वित्तीय स्थिति’ हेतु बेसिक क्यू आर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। और भी, जहाँ कहीं भी उचित समझा जाए, *क्यू आर* का पालन करने वाले आवेदक को विभिन्न विशेषताओं पर अंक दिए जा सकते हैं और केवल न्यूनतम विनिर्दिष्ट अंक प्राप्त करने वाले या ऊंचा स्थान प्राप्त करने वाले आवेदकों पर ही बोली आमंत्रित करने हेतु विचार किया जाए। तथापि, अंक देने की क्रिया-विधि, रूचि की अभिव्यक्ति हेतु अनुरोध में दी जानी चाहिए। जहाँ कहीं भी अंक देने की क्रिया-विधि लागू नहीं है, वहां *बेसिक क्यू आर* का पालन करने वाले सभी आवेदकों से बोलियाँ आमंत्रित की जाएंगी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आमंत्रित बोलियों पर कार्य सौंपने को, सभी प्रयोजनों केलिए खुली निविदाओं पर दिया गया कार्य माना जाएगा।

बी7.13 *टी बी सी बी* हेतु प्रापण सहित कुछ खास प्रापणों केलिए, सूची-बंधन हेतु अनुरोध आमंत्रित कर ठेकेदारों (संविदाकारों)/विक्रेताओं को सूचीबद्ध करना उचित माना जा सकता है। ऐसे मामले में, सूचीबंधन के लिए केवल बेसिक क्यू आर को ही विनिर्दिष्ट किया जाएगा। और भी, उस पैकेज हेतु अर्हकारी मान-दंड को पूरा करने के अधीन रहते हुए, सूची-बद्ध पार्टियों से जिस पैकेज के लिए बोलियाँ आमंत्रित की गईं हैं, उसका अधिकतम मूल्य, संकेतात्मक *क्यू आर* के साथ सूची-बंधन हेतु अनुरोध में दिया जाना चाहिए। प्राप्त अनुरोधों के आधार पर आवेदकों को सूची-बद्ध किया जाए और जब कभी भी प्रापण की ज़रुरत हो तो सूची-बद्ध पार्टियों से प्रापण केलिए बोलियाँ आमंत्रित की जाएं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा सूची-बंधन स्वतन्त्र रूप से किया जाए और यथा-निश्चित के एवं पद्धति के अनुसार नियमित रूप से अद्यतन किया जाता रहे। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल उन्ही आवेदकों को सूची-बद्ध किया जाए जिन्हें ठेके(संविदा) को पूरा करने योग्य क्षमता एवं योग्यता वाला माना गया है। इस पद्धति के अंतर्गत आमंत्रित बोलियों पर कार्य सौपने को खुली निविदाओं पर दिया गया कार्य माना जाएगा।

बी7.14 एन आई टी/आई एफ बी के प्रकाशन हेतु मार्ग=निर्देश

बी7.14.1 *एन आई टी* प्रकाशित करने के लिए अपेक्षित इनपुट यथा मंज़ूर-शुदा पैकेज सूची, मंज़ूर-शुदा *क्यू आर*, मंज़ूर-शुदा लागत प्राक्कलन दुरुस्त होने चाहिए। यदि मंज़ूर-शुदा लागत प्राकलन उपलब्ध नहीं है तो *एन आई टी* के प्रकाशन को लागत-पत्र(कौस्ट शीट) के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। तथापि, बोली के खोले जाने से पहले मंज़ूर-शुदा लागत प्राक्कलन उपलब्ध होना चाहिए। जहाँ कहीं भी ज़रुरत हो, *एन आई टी* का प्रकाशन आस्थगित बिक्री/पहले से निर्दिष्ट तारीख़ से बोली के कागज़ात की डाऊनलोडिंग के प्रबंध के साथ किया जा सकता है। उस समय तक अर्थात् बिक्री/डाउनलोडिंग की शुरुवात तक सभी अपेक्षित इनपुट्स उपलब्ध/दुरूस्त होने चाहिए।

बी7.14.2 प्रापण सूचना को समाचार-पत्रों तथा/या इलेक्ट्रानिक पोर्टल/**पावरग्रिड** की बेबसाईट के माध्यम से और सेन्ट्रल पब्लिक पोर्टल*(सी पी पी)* पर प्रदर्शित कर संभावित बोली-दाताओं को बोलियों/निविदाओं के लिए निमंत्रण दिया जाएगा।

बी7.14.3 *एन आई टी* का पाठ ईष्टतम होना चाहिए ताकि विज्ञापन की लागत न्यूनतम हो जाए। इस के लिए *एन आई टी* का मानक फोर्मेट प्रयोग किया जाएगा।

बी7.14.4 कार्पोरेट पैकेज़िज़ के लिए *आई एफ बी/एन आई टी*, अखिल भारतीय प्रतिष्ठा के न्यूनतम दो अग्रणी समाचार-पत्रों में तथा उस क्षेत्र के व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले वाले एक स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाएगा जहाँ कार्य किया जाना है। साथ ही इसे क्षेत्रों के मुख्यालयों तथा क्षेत्र के सभी उप-केन्द्रों के सूचना-पटों पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। स्थल पैकेज़िज़ के मामले में, *एन आई टी* का प्रकाशन एक अखिल भारतीय प्रतिष्ठा के अग्रणी समाचार-पत्र में तथा कार्य वाले क्षेत्र के निकटतम ईलाके के व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले क्षेत्रीय समाचार-पत्रों(जिनमें से एक यदि स्थानीय भाषा का हो तो बेहतर है) में किया जाएगा। छोटे मूल्य वाले पैकेज़िज़ के लिए, राष्ट्रीय स्तर के समाचार-पत्र को लेना अनिवार्य नहीं है जिसमें विज्ञापन का खर्च सामान्यतः बहुत अधिक होता है। *विश्व बैंक/ए डी बी* या अन्य एजेंसियों से वित्त-पोषित पैकेज़िज़ के मामले में, *आई एफ बी/एन आई टी* का प्रकाशन उनके मार्ग-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

बी7.14.5 समाचार-पत्रों का चयन एक-समान और पारदर्शी ढंग से किया जाना चाहिए ताकि विज्ञापन के वितरण प्रकाशकों के बीच सामान रूप से हो सकें।

बी7.14.6 *क्यू आर* में परिवर्तन के कारण *एन आई टी* का शुद्धि-पत्र उन्हीं समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा जिनमें *एन आई टी* मूल रूप से प्रकाशित हुआ था।

बी7.15 बोली तैयार करने एवं बोली-देने के कागज़ात की बिक्री हेतु मार्ग-निर्देश

बी7.15.1 बोलियों को तैयार करने एवं जमा कराने केलिए उचित समय दिया जाएगा। समय का यह औचित्य, इसके परिमाण और जटिलता सहित संदर्भ-गत प्रापण को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा।

बी7.15.2 *एस एस टी ई, एस एस एस ई* तथा द्वि-चरणीय (पहला चरण) के अंतर्गत बोली देने के लिए, बोली देने के कागज़ात की बिक्री हेतु अवधि नीचे दिए गए के अनुसार होगी:

पैकेज की (करों व सीमा-शुल्कों के बिना) आकलित लागत	बिक्री की अवधि *
रु.100 करोड़ तक	30 दिन
रु. 100 करोड़ से अधिक	45 दिन

* *कार्य घंटों की समाप्ति तक दिनों की लगभग संख्या, अवकाश वाले दिनों या पैकेज़िज़ के समूहिकी-करण से बचने के लिए उचित रूप में समायोजित की जानी है।*

द्वि-चरणीय बोली-देने के अंतर्गत दूसरे चरण की बोली देने हेतु, रु.100 करोड़ तक के आकलित मूल्य के पॅकेज के लिए सामान्यतः 15 दिनों की अवधि और उच्चतर आकलित लागत के लिए 21 दिन की अवधि रखी जाएगी।

बी7.15.3 जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा, बिक्री की अवधि कम की जा सकती है लेकिन कारपोरेट पैकेज़िज़ के लिए सी एम जी विभाग की सलाह पर, किसी भी हालत में 15 दिनों से कम नहीं होगी। स्थल पैकेज़िज़ के मामले में बिक्री की अवधि में कमी का. नि.(क्षेत्र) की मंजूरी से की जा सकेगी।

बी7.15 4 ई-प्रापण के अंतर्गत पार्टियाँ, बोली देने की अंतिम तारीख तक बोली के कागज़ात डाऊनलोड करने के लिए स्वतन्त्र होंगी। निविदा की फीस/ बोली देने के कागज़ात की लागत के भुगतान हेतु मार्ग स्थापित होने तक, पार्टियों को निविदा फीस/बोली देने के कागज़ात की लागत का भुगतान कारोबार-पूर्व करने की ज़रुरत नहीं होगी। तथापि, उसका भुगतान बोली जमा करने के समय करना होगा। यदि उसका भुगतान नहीं किया जाता है तो बोली को अनुक्रिया-हीन माना जाएगा।

बी7.15.5 निविदा की फीस/बोली देने के कागज़ात की लागत का भुगतान, मार्ग-निर्देशों के अनुसार, यदि बना हुआ हो तो, मार्ग(गेटवे) के माध्यम से किया जा सकता है।

बी7.15.6 सामान्यतः जटिलताओं वाले प्रापणों या ऐसी अन्य शर्तों के लिए बोली-पूर्व सम्मलेन का आयोजन किया जा सकता है जिनके लिए इसका किया जाना उचित समझा जाए।

बी7.15.7 बोली के कागज़ात में संशोधन/स्पष्टीकरण जारी करने और/या संभावित बोली दाताओं के अनुरोध पर, जहाँ कहीं भी उपयुक्त समझा जाए, बोली देने तथा उसके खुलने की तारीख बढाई जा सकती है।

बी7.16 बोली देने/जमा कराने सम्बन्धी मार्ग-निर्देश

बी7.16.1 बोली के कागज़ात की बिक्री बंद होने के बाद, बोली देने की अंतिम सीमा 1—3 कार्य-दिनों(11.00 बजे /15.00 बजे तक) की होगी। क्षेत्रीय पैकेज़िज़ के मामले में, बोली देने के कागज़ात की बिक्री बंद होने के बाद बोली देने की अंतिम तारीख 7 दिनों तक की हो सकती है।

तथापि, ई-प्रापण के तहत, बोली देने की अंतिम तारीख अर्थात बोलियों को ई-प्रापण पोर्टल पर अपलोड (बोली का सॉफ्ट/ई-भाग) करने के अंतिम दिन के विनिर्दिष्ट समय तक बिक्री की समाप्ति की अवधि निश्चित की जाएगी क्योंकि

बोली देने के कागज़ात को डाऊनलोड करने की अंतिम सीमा लागू नहीं है। अपेक्षित निविदा शुल्क/बोली के कागज़ात की लागत के साथ बोली के हार्ड/पेपर-पार्ट जमा करने की अंतिम सीमा, बोली जमा करने अर्थात बोलियों की अपलोडिंग(बोली का सॉफ्ट/ई-पार्ट) की अंतिम समय-सीमा के बाद एक निर्दिष्ट समय तक दूसरे दिन तक की होगी।

बी7.16.2 ईलैकट्रानिक प्रापण में, बोली-दाता मूल्य सहित अपनी बोलियाँ केवल ऑन-लाईन दे सकेंगे। बोली का हार्ड कॉपी वाला भाग अर्थात धरोहर राशि जमा, वचन-पत्रों का संयुक्त विलेख, निविदा फीस आदि को भौतिक रूप में, बोली के हार्ड/पेपर वाले भाग को जमा करने की अंतिम समय-सीमा से पहले एक निश्चित स्थान पर दे देना होगा।

बी7.16.3 ई-प्रापण के अंतर्गत, यदि बोली के सॉफ्ट/ई-पार्ट तथा/या बोली का हार्ड/पेपर भाग उपरोक्त के अनुसार नहीं दिया गया है तो बोली को अधूरा माना जाएगा और उसे अनुक्रिया-हीन समझा जाएगा।

बी7.16.4 बोलियों में संशोधन/बोलियों को वापस लेना

ईलेक्ट्रानिक प्रापण के सिवाय अन्य बोली देने में, बोली-दाता बोली देने के बाद अपनी बोली में संशोधन कर सकता है या उसे वापस ले सकता है बशर्ते संशोधन या वापस लेने का लिखित नोटिस, बोली जमा करने की अवधि, जिसमें **पावरग्रिड** द्वारा उचित समझी गई कोई वृद्धि की गई हो तो उसे मिला कर, की समाप्ति से पहले प्राप्त हो जाता है।

बोली जमा करने की अवधि की समाप्ति के बाद तथा बोली की वैधता की अवधि की समाप्ति के पहले किसी बोली में संशोधन या उसे वापस लेना नहीं हो सकेगा। बीच की इस अवधि में बोली में संशोधन या उसे वापस लेने पर बोली-दाता द्वारा बोली की जमानती राशि ज़ब्त कर ली जाएगी।

बी7.16.5 बोली जमा करने की आखिरी तारीख के बाद दी गई/प्राप्त की गई बोली को 'विलंबित बोली' कहा जाएगा और उसे अनुक्रिया-हीन माना जाएगा।

बी7.17 बोली खोलने से सम्बंधित मार्ग-निर्देश

बी7.17.1 बोलियों को, उनको जमा करने की अवधि समाप्त होते ही तुरंत खोला जाएगा (कहें तो आधे घंटे की अवधि के बाद)। तथापि, ई-प्रापण के बाद बोलियाँ, बोली की हार्ड/पेपर भाग जमा करने की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद (कहें तो आधे घंटे की अवधि के बाद) खोली जाएंगी। यदि ज़रुरत हुई तो अपेक्षित निविदा फीस/बोली के कागज़ात की लागत भी साथ ही देनी होगी।

बी7.17.2 अंतिम समय तक प्राप्त संख्या पर ध्यान दिए बिना बोलियाँ, निश्चित स्थान और ईलैक्ट्रानिक पोर्टल पर या जैसा भी लागू हो, बोली के कागज़ात में दिए गए के अनुसार खोली जाएंगी। यदि बोलियाँ जमा के समय बहुत कम होती हैं, जैसे कि केवल एक ही बोली आई है तो बोली जमा कराए जाने की अवधि बढ़ाई जा सकती है। बोली खोलने के दौरान, न तो किसी बोली की विशेषताओं पर चर्चा होगी और ना ही किसी को अस्वीकृत किया जाएगा।

बी7.17.3 बोली खोलने के दौरान बोली की प्रमुख बातों का पाठन किया जाएगा तथा उसे बोली खोलने के विवरण में दर्ज किया जाएगा। ई-प्रापण के मामले में, ऐसे विवरण बोली-दाता द्वारा भरे जाएँगे और बोली के साथ एक विनिर्दिष्ट फोर्मेट में अपलोड किए जाएंगे। तथापि, ऐसे भरे हुए विवरण को बोली का भाग नहीं माना जाएगा और यदि उसमें एवं बोली में कोई विसंगति और/या असंगति रहती है तो परवर्ती को सही ठहराया जाएगा।

बी7.13.4 ई-प्रापण के मामले में बोली देने/बोली खोलने की तारीख और समय में कोई वृद्धि, प्रणाली की खराबी/एसेस में दिक्कत या इसी प्रकार की प्रणाली से सम्बंधित किसी बात को, किसी विशेष पार्टी द्वारा उठाए जाने पर ही नहीं की जाएगी।

जहाँ बोली का हार्ड पार्ट और/या बोली को दस्ती तौर पर जमा किया जाना है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बोली के कागज़ात में कम-से-कम दो अधिकारियों के नाम तथा पदनाम दिए गए हैं। इन अधिकारियों के बारे में सूचना उस परिसर के प्रवेश/स्वागत-कक्ष में भी प्रदर्शित की जानी चाहिए जहाँ बोली का हार्ड पार्ट और/या बोली जमा कराई जानी है ताकि बोली-दाताओं को सुविधा रहे।

बी7.18 बिड ओपनिंग समिति तथा निविदा समिति के नामांकन एवं मंज़ूरी

बी7.18.1 बोलियों को खोलने से पहले, बोलियों के खोलने तथा बोलियों की जांच करने के प्रयोजन हेतु 'बोली खोलने की समिति' एवं 'निविदा समिति' नाम से समितियां गठित की जाएंगी।

बी7.18.2 प्राक्कलित लागत से जुडी निविदा समिति गठित करने के लिए, करों व सीमा-शुल्कों के बिना लागत प्राक्कलन(एन आई टी लागत प्राक्कलन एवं अपवाद-स्वरुप मामलों में –एफ आर लागत प्राक्कलन) को आधार बनाया जाएगा। तथापि, प्राक्कलन के मूल्य में बाद के परिवर्तन और/या मूल्य बोली खुल जाने के बाद का समय, ऐसे निर्णयों/कार्रवाइयों/गतिविधियों की समीक्षा के आधार नहीं होंगे।

बी7.19 हितों का टकराव

बी7.19.1 यदि निविदा समिति के सदस्यों में से कोई सदस्य, बोली की प्रक्रिया में भाग ले रहे किसी बोली-दाता में रूचि रखता है तो वह सदस्य निविदा समिति में भाग लेने से अलग रहेगा। वह इस बात की जानकारी अपने विभाग के का.नि. को लिखित रूप में देगा जिस से उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को नामित किया जाएगा।

बी7.19.2 बोलियों की जांच(मूल्यांकन) तथा मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुमोदन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुडे, मूल्यांकन समिति के सदस्यों सहित किसी भी अधिकारी का यदि हितों का कोई टकराव है तो वह इसकी सूचना देगा और इस केलिए कारण अभिलेखित करते हुए स्वयं को ऐसे मूल्यांकन/ऐसी जांच से अलग कर लेगा।

:: अध्याय 7 की समाप्ति ::

अध्याय 8

बी8.0 बोलियों का मूल्यांकन तथा सिफारिशों सहित मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रस्तुति

बी8.1 बोलियों का मूल्यांकन गोपनीय होगा।

बी8.2 बोलियों के मूल्यांकन से बोलियों की अनुक्रियात्मकता या अन्यथा, बोली-दाताओं का *क्यूआर* अनुपालन एवं और उनके मूल्यांकित मूल्यों का पता लग सकेगा जिस से उनकी तुलना करने में आसानी होगी। मूल्यांकित मूल्यों का वही होना ज़रूरी नहीं है जो बोली खोलने वाले विवरण में दिया गया था। सबसे कम मूल्यांकित मूल्य का **पावरग्रिड** का निश्चयन अंतिम व बाध्यकर होगा।

बी8.3 बोलियों का मूल्यांकन, बोली देने के कागज़ात में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। बोलियों के मूल्यांकन के दौरान कोई विशेष और/या अलग-सा मुद्दा तथा/या परिस्थिति सामने आने पर, यदि उनके बारे में बोलियों के कागज़ात में उल्लेख नहीं है तो उनको उचित, पारदर्शी और बराबरी के ढंग से निपटाया जाएगा एवं किए गए पूर्वानुमानों, यदि कोई हुए, के साथ उन्हें अभिलेखित किया जाएगा।

बी8.4 *विश्व बैंक/ए डी बी/के एफ डब्ल्यु* से वित्त-पोषित प्रापणों के लिए या ऐसी ही किसी एजेंसी द्वारा वित्त-पोषित प्रापणों हेतु मार्ग-निर्देश, यदि कोई उनके द्वारा निर्धारित किए गए हों तो वे बोलियों के मूल्यांकन के समय विचार में लिए जाएँगे। इसी प्रकार अन्य सेवाओं/ग्राहक संगठनों के लिए और उनकी ओर से प्रापणों हेतु मार्ग-निर्देश, यदि उनके द्वारा कोई निर्धारित किए गए हों तो बोलियों के मूल्यांकन में उनको ध्यान में रखा जाएगा।

बी8.5 मूल्यांकन के मानदंड सामान्यतः और आमतौर पर निम्नलिखितों में से किसी एक या इनके किसी के संयोजन से सम्बंधित होंगे:

(i) बोली का पूरा होना एवं और इसकी कानूनी वैधता;
(ii) क्षमता एवं योग्यता सहित *क्यू आर;*
(iii) मूल्य;
(iv) कर, सीमा-शुल्क एवं अन्य उप-कर;
(v) किसी बड़े विचलन, चूक या पूर्वाग्रह के बिना, बोली कागज़ात की अपेक्षाओं का समग्र रूप से अनुपालन;
(vi) पूरा करने के लिए समय;
(vii) निष्पादन तथा कार्य-संपादन गारंटियां, यदि कोई हों;
(viii) संविदा(ठेके) के कार्यान्वियन के लिए महत्वपूर्ण समझे गए सहयोगी, लाईसेंसर, एसोशिएट और/या उप-ठेकेदार/विक्रेता की स्वीकार्यता;
(ix) बोली-दाता तथा प्रापण के मामले में विषय-वस्तु देने में संलग्न कर्मियों का अनुभव और तकनीकी अर्हता, यदि सम्बंधित और विनिर्दिष्ट हो;
(x) परखें, नमूनों की जांच, स्थान पर प्रदर्शन तथा तकनीकी मूल्यांकन की अन्य अतिरिक्त पद्धतियाँ, बशर्ते बोली के कागज़ात में अपेक्षा विनिर्दिष्ट हो;
(xi) कोई और आवश्यक समझा गया मान-दंड।

बी8.5.1 कोई भी गैर-मूल्य मूल्यांकन मानदंड, जहाँ तक व्यावहारिक हों, वस्तुपरक एवं परिमाण-योग्य होंगे।

बी8.6 बोली के मूल्यांकन में निम्नलिखित बातें होंगी:

(i) बोलियां जमा कराने की अपेक्षाओं को जांचना और यदि कोई चूक हो गई हो तो उसका पता लगाना।
(ii) बोलियों की जांच तथा आरंभिक मूल्यांकन अर्थात बोलियों की कानूनी वैधता से सम्बंधित पहलु, बोली की वैधता, बोली की प्रतिभूति, बोली की पूर्णता, बोली के कागज़ात तथा और आगे विचार हेतु अपेक्षाओं के प्रति सामान्य अनुक्रिया।
(iii) बोली-दाताओं के *क्यू आर* के अनुपालन का निश्चयन।
(iv) संविदा(ठेके) को कार्यान्वित करने की बोली-दाता की संगठनात्मक शक्ति, तकनीकी एवं वित्तीय योग्यता एवं क्षमता का निश्चयन।
(v) तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार संयंत्र और उपकरण/सुविधाओं के गारण्टी-शुदा निष्पादन और वित्तीय गारंटियों(अर्थात निष्पादन, कुशलता, उपभोग आदि) की जांच।
(vi) किसी अन्य सम्बंधित कारक की जांच, जैसा कि बोली के कागज़ात में विनिर्दिष्ट हो।
(vii) ऐसे पहलुओं के बारे में ऐतिहासिक आंकड़े/विवरण/कागज़ात और ऐसे पहलुओं पर स्पष्टीकरण जो बोली के मूल्यांकन हेतु ज़रूरी हों। लेकिन इस से बोली की सततता में कोई परिवर्तन नहीं आने दिया जाएगा।
(viii) संगठनात्मक शक्ति, तकनीकी एवं वित्तीय योग्यता व क्षमता का पता लगाने के लिए आंकड़े/विवरण/कागज़ात प्राप्त करना।
(ix) बोलियों के तकनीकी और वाणिज्यिक पहलुओं पर कथनों को जाँचना और उनका मूल्यांकन करना जिसमें विपथन, चाहे भारी हों या मामूली तथा सम-मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु, उसके लिए मेल खाती हुई क्षति-पूर्ति का आकलन/निश्चयन भी शामिल है।
(x) बोली का अभिकलित/सही मूल्य पाने के लिए, दिए गए मूल्यों की जांच एवं यदि कोई हों तो हिसाब की त्रुटियों को दूर करना।
(xi) लागू होने वाले ऐसे करों, सीमा-शुल्कों और अन्य उप-करों हेतु बोलियों की जांच जो बोली के कागज़ात के प्रावधानों के अनुसार पुनः-पूर्ति योग्य हैं तथा उनको निश्चित करना ताकि करों एवं सीमा-शुल्कों सहित बोली मूल्य

का हिसाब लगाया जा सके और बोली के मूल्यांकित मूल्य को जानने केलिए, जहाँ कहीं भी जरूरी हो, इसका उपयोग किया जा सके।

(xii) लागत पुनः पूर्ति, यदि कोई हुई, तथा अन्य कारकों अर्थात गारंटी-शुदा मानदंडों के लिए पूँजी-कृत राशि एवं बोली के कागज़ात में अभिज्ञात अन्य पहलुओं को देखते हुए मूल्यांकित बोली-मूल्य का हिसाब लगा लेना।

बी8.7 मूल्यांकित मूल्य को निश्चित करने के लिए मामूली विपथनों हेतु लागत पुनः-पूर्ति का हिसाब लगाने में, बोली-दाता द्वारा बताई गई निकासी की लागत को हिसाब में लिया जाएगा। यदि यह नहीं दी गई है तो **पावरग्रिड**, अन्य बोलियों या डब्ल्यु पी पी पी, खंड-I, सितम्बर,2001 में विस्तार से बताई गई किसी अन्य सूचना के आधार पर लागत का अपना ही हिसाब लगा लेगा।

बी8.8 उन मामलों में जहाँ बोली-दाता ने भारी विपथन किया है लेकिन उसने निकासी की लागत नहीं बताई है तो बोली को अनुक्रिया-हीन माना जाएगा तथा इस पर और आगे विचार नहीं किया जाएगा।

बी8.9 संविदा(ठेका) दिए जाने के समय बोली-दाता विपथनों (डेविएशन्स) को हटाएगा जिसकी लागत **पावरग्रिड** की नहीं होगी, या यह बोली में अपने द्वारा बताई गई निकासी की लागत पर ऐसा करेगा। यदि बोली-दाता अपने द्वारा प्रस्तावित विपथन नहीं हटाता है तो उसकी बोली रद्द कर दी जाएगी और उसकी प्रतिभूति ज़ब्त कर ली जाएगी। यदि वह बोली में दी गई निकासी की लागत पर विपथन को वापस ले लेता है तो बोली में उसके द्वारा बताई गई निकासी की लागत की राशि उसके कार्य सौंपे जाने वाले मूल्य में जोड़ दी जाएगी।

बी8.10 जहाँ कहीं भी सुविधाओं की प्रकार्यात्मक गारंटियों/उपकरण/सामग्री/प्रणाली के गारण्टी-शुदा निष्पादन के लिए विभेदी मूल्यों हेतु प्रावधान हो, तो विभेदी मूल्यों की वैल्यू, बोली देने के कागज़ात में दी गई कार्य-विधि से निकाली जाएगी जिसे मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु बोली-दाता के अभिकलित मूल्य में जोड़ा जाएगा।

बी8.11 सामान्य नीति के तौर पर, *एस एस टी ई* या द्वि-चरणीय बोली देने की पद्धति के अंतर्गत कार्य ऐसे बोली-दाता के सिवाय किसी अन्य को नहीं सौंपा जाएगा जिस की बोली को एक विशिष्ट बिडिंग प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नतम मूल्यांकित अनुक्रियात्मक बोली निश्चित किया गया हो। यदि गलत बयानी सहित धोखा-धडी और भ्रष्टाचार के अलावा किसी अन्य कारणवश न्यूनतम मूल्यांकित बोली स्वीकार नहीं की जा सकती तो बोली की प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी और नए सिरे से बोलियाँ आमंत्रित की जाएंगी। इस नीति के अनुसरण में, *एस एस टी ई* या द्वि-चरण बोली देने की प्रक्रिया के अंतर्गत बोली के मूल्यांकन के दौरान, कार्य सौपने हेतु बोली-दाता की बोली की अनुक्रियाशीलता और स्वीकार्यता को पहले-लिफाफे/ पहले चरण की बोली मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सुनिश्चित किया जाएगा।

बी8.12 बोलियों का मूल्यांकन करते समय, कार्य सौंप देने की सिफारिश करने से पहले, बोली-दाता की संविदा (ठेके) को कार्यान्वित करने की संगठनात्मक शक्ति, तकनीकी व वित्तीय क्षमता और योग्यता को निविदा समिति द्वारा तय किया जाएगा।

बी8.12.1 बोली-दाता की संगठनात्मक शक्ति, तकनीकी एवं वित्तीय योग्यता और क्षमता को, जहाँ कहीं भी ज़रुरत हो वहां बोली-दाता द्वारा, अपने पॉवर ऑफ़ एटार्नी धारी द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी(*के एम पी)* अर्थात सी ई ओ/प्रबंध निदेशक/कंपनी सचिव/निदेशक/सी एफ ओ/साझेदारी की कम्पनी/फर्म होने की दशा में किसी भी साझीदार/कंपनी के मामलों को सम्हालने की बड़ी शक्तियों से युक्त अन्य कोई अधिकारी के साथ सयुंक्त रूप से दिए गए विवरणों और सूचनाओं /तथा **पावरग्रिड** के पास पहले से विद्यमान अभिलेख/विवरण के आधार पर तय किया जाएगा।

बी8.12.2 संगठनात्मक शक्ति, तकनीकी तथा वित्तीय योग्यता और क्षमता के निश्चयन का परिणाम, सम्बंधित संविदा समन्वयक द्वारा लिखित रूप में सम्बंधित पार्टी को दिया जाएगा।

बी8.13 बोली-दाता की क्षमता के सम्बन्ध में, ऐसे संविदा(ठेके) हेतु पैकेज़िज़ जिनकी बोलियाँ किसी वित्त-वर्ष (अर्थात अप्रैल से मार्च) के दौरान खोली गईं और वित्त-वर्ष(अर्थात अपील से मार्च) में कार्य सौपने के लिए विचारित हैं, के लिए विनिर्दिष्ट *एम ए ए टी, क्यू आर* अनुपालन हेतु यथा अभिनिश्चित पिछले 5 वर्षों में से सर्वोत्तम 3 सालों के औसत वार्षिक कारोबार के डेढ़(1.5) गुना से अधिक का नहीं होगा। और भी, कार्य सौंपे जाने केलिए विचार किए जाने हेतु ऐसे वर्तमान ठेकेदारों, जिन्हें **पावरग्रिड** और(*टी बी सी बी* परियोजनाओं के अंतर्गत) इसके *एस पी वी* द्वारा कार्य सौंपे गए हैं/गए थे, के निष्पादन या अन्य किसी पहलु के लिए कोई विपरीत प्रतिक्रिया (फीड-बैक) नहीं रही होगी। तथापि, ऐसे ठेकों के मामले में, जहाँ तकनीकी अनुभव के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अर्हकारी अपेक्षा मुख्यतः खड़ा करने (इरैक्शन), टेस्टिंग और चालू करने/ सिविल कार्य यथा पारेषण लाईन टॉवर पैकेज़िज़/उप-केंद्र पैकेज़िज़/सिविल कार्य पैकेज़िज़ से सम्बंधित है, उपरोक्त के सामान ठेके देना, बोली-दाता द्वारा अपनी बोली के पैरा बी8.13.1 में यथा-घोषित चल रहे कार्य (और आगे कार्य सौपने हेतु ठेकों/संविदाओं का मूल्य) की बोली के शुद्ध शेष तक सीमित रहेगा।

बी8.13.1 उपरोक्त पैरा बी8.13 के यथानुसार, और आगे कार्य सौपने के लिए बैलेंस बिड क्षमता, पॉवर ऑफ़ अटार्नी धारक तथा बोली-दाता के *'के एम पी'* की बोली में संयुक्त रूप से की गई घोषणा और निम्नलिखित फार्मूले पर आधारित होगी:

शेष बिड क्षमता(रूपयों में) = 3 टी-बी, जहाँ—

टी (T) = ऐसे समान कार्यों का अधिकतम मूल्य (अर्थात क्रमशः टॉवर/उप-केंद्र पैकेज़िज़ के मामले में 110 कि.वा. और ऊपर की ई एच वी पारेषण लाइनों/उप-केन्द्रों से सम्बंधित मूल्य) जो पूरे किए गए और चालू कार्यों को मिला कर पिछले 5 वित्त वर्षों के दौरान किसी एक वित्त वर्ष में पूरे किए हों।

बी (B) = वर्तमान वायदे एवं चल रहे समान कार्य जो अभी पूरे होने हैं।

बी8.14 जहाँ कहीं भी ज़रुरत हो, उप-विक्रेता/उप-ठेकेदार की संगठनात्मक शक्ति, तकनीकी एवं वित्तीय योग्यता और क्षमता का निश्चयन, ऐसे एसोसिएट/उत्पादक या ऐसी पार्टी जिसे ठेकेदार द्वारा, ठेके(संविदा) की सुविधाओं के पहले से चुने गए भाग को स्वतन्त्र रूप से पूरा करने के लिए जोड़ लिया गया है और जिसके पास एसोसिएटेड कन्ट्रेक्चुअल अधिकार व उत्तरदायित्व हैं, के मामले को छोड़ कर सामान्यतः नहीं किया जाएगा।

बी8.15 बोली-दाता तथा/या इसके एसोसिएट्स से मिलने वाली महत्वपूर्ण उत्पादित मदों जैसे कंडक्टर, इन्सुलेटर, टॉवर के हिस्से आदि के प्रापण के लिए, बोली-दाता, चाहे यह उत्पादक हो या इसका प्रस्तावित उत्पादक, एक वित्त वर्ष(अर्थात अप्रैल से मार्च) के दौरान विभिन्न पैकेज़िज़ के अंतर्गत उत्पादन क्षमता रखने वाला माना जाएगा बशर्ते उक्त वित्त वर्ष में जिन पैकेज़िज़ के लिए जो बोलियाँ खोली गई हैं, उन के अंतर्गत संदर्भित मदों की वार्षिकी-कृत ज़रुरत, बोली-दाता/प्रस्तावित उत्पादक(यह मानते हुए कि शेष बोली क्षमता अन्य संगठनों द्वारा दिए गए ठेकों हेतु प्रयोग की जाएगी) की वार्षिक उत्पादन क्षमता के 0.67 गुना से अधिक नहीं होती है। ऐसी उत्पादन क्षमता के लिए बोली-दाता के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति के साथ पॉवर ऑफ़ अटार्नी धारक द्वारा संयुक्त रूप से बताया जाएगा और चार्टर्ड इंजीनियर या बोली-दाता/प्रस्तावित उत्पादक के देश के प्रोफैशनल/प्रोफैशनल निकाय द्वारा प्रमाणित किया गया होगा। इस प्रयोजन के लिए, पार्टी द्वारा किए जा रहे शेष कार्यों पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, यह और आगे किए जा रहे कार्य(अर्थात और आगे काम देने के लिए उपलब्ध उत्पादन क्षमता) की शेष शुद्ध उत्पादन क्षमता, जैसी कि बोली-दाता द्वारा बोली में स्वयं घोषित किया गया होगा, तक सीमित रखा जाएगा।

बी8.16 क्षमता के निश्चयन के दौरान, यदि निविदा समिति द्वारा आवश्यक समझा जाता है एवं जिस के लिए कारण अभिलेखित किए जाते हैं, ऐसे निश्चयन से सम्बंधित पहलुओं/मुद्दों के विस्तृत मूल्यांकन की जरूरत है तो निविदा समिति की सिफारिश पर उसके लिए अलग से एक निर्धारण समिति का गठन किया जा सकता है। ऐसे मामलों में मूल्यांकन के विचारार्थ विषय समिति के गठन के प्रस्ताव में विशेष रूप से दिए जाएंगे। केवल ज़रूरी होने पर ही मूल्यांकन समिति द्वारा बाहर का दौरा किया जा सकेगा। मूल्यांकन समिति के निष्कर्षों पर निविदा समिति द्वारा तदनुसार विचार किया जाएगा। मूल्यांकन समिति में वित्त, माँग करने वाले (इंडेंटिंग*), क्यू ए एण्ड आई,* विधि, संविदा विभाग तथा निविदा समिति द्वारा यथा प्रस्तावित विस्तृत मूल्यांकन हेतु जरूरी पहलुओं/मुद्दों के आधार पर अन्य कोई विभाग शामिल होंगे।

बी8.17 ऐसी नई पार्टी या बोली-दाता, जिस के पास **पावरग्रिड** द्वारा इसी प्रकार के कार्य का चालू ठेका नहीं है और/या उपरोक्त पैरा बी8.13 में संदर्भित *एस पी वी* नहीं है, पर कम-से-कम एक ठेका देने के लिए विचार किया जाएगा चाहे पैरा बी18.13 एवं बी18.13.1 के यथानुसार बैलेंस बिड क्षमता वाले मानदंड पूरे नहीं होते हों।

बी8.18 नियमित कार्यों, जैसे पारेषण लाईन टॉवर पैकेज़िज़, उप-केंद्र पैकेजिज आदि हेतु कुशल संविदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए **पावरग्रिड** में पहले ही ठेके(संविदा-कार्य) के कार्य कर चुके वर्तमान बोली-दाताओं की निष्पादन समीक्षा आवधिक तौर पर, उच्च-स्तरीय (कार्यकारी निदेशक स्तर की हो तो बेहतर है) कार्यकारियों की स्थाई समिति द्वारा एक सांस्थानिक (इंस्टिट्यूटनल) क्रिया-विधि के माध्यम से की जा सकती है। बोली-दाताओं को संविदा(ठेके) को पूरा करने के योग्य माना जाएगा यदि वे निष्पादन संकेतक के न्यूनतम मान को पार कर पाएंगे। ये निष्पादन संकेतक संविदा के सफलता-पूर्वक पूरा करने के सम्बंधित आवश्यक कारकों पर निर्भर होंगे।

बी18.8.1 निष्पादन समीक्षा केलिए कार्पोरेट केंद्र में कार्पोरेट मोनिटरिंग ग्रुप तथा क्षेत्रीय मानिटरिंग ग्रुप समन्वयक विभाग होंगे।

बी8.19 मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान किसी बोली-दाता के प्रथम-दृष्टया सत्य-निष्ठा संधि के उल्लंघन में संलिप्त पाए जाने पर उसकी बोली को अनुक्रिया-हीन माना जाएगा।

बी8.20 यह मानते हुए कि क्षेत्रीय/स्थल स्तर पर अनेक छोटे पैकेज़िज़ का काम होता है जिनके मामलों में कार्य करने वाली एजेंसियों के पास, बी8.12.1 से बी8.18.1 तक में बताई गई अपेक्षित आर्गेनाइजेशन सैट-अप प्रक्रिया नहीं है तो वे रु. 2 करोड़ से कम के पैकेज हेतु आवेदन नहीं करेंगे। ऐसे पैकेज़िज़ के लिए बोली के कागज़ात तदनुसार तैयार किए जाएँगे।

:: अध्याय 8 समाप्त ::

अध्याय 9

बी9.0 बोली के बाद की चर्चा(पी बी डी)/ विशिष्ट करारनामे और संविदा(ठेकों) का कार्य सौंपना

बी9.1 बोली के बाद की चर्चा/विशिष्ट करारनामे

बी9.1.1 सामान्यतः एक बार जब कार्य सौंपने की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंज़ूर कर ली जाती है तो सफल बोली-दाता को कार्य सौंप दिया जाएगा।

बी9.1.2 कभी-कभी कार्य-क्रम बनाने एवं टाई-अप सहित तकनीकी तथा वाणिज्यिक मुद्दों का समाधान सफल बोली-दाता के साथ करने की ज़रुरत हो जाती है, जैसा कि अनुमोदित मूल्यांकन रिपोर्ट में देखा गया होगा/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशित होगा। उन मामलों में जहाँ टाई-अप में आर्थिक संलिप्तता नहीं है, कार्य सौंपे जाने के बाद बोली-दाता के साथ विशिष्ट करारनामे (*एस ए)* हस्ताक्षरित किए जा सकते हैं जिन्हें बोली-दाता के साथ हस्ताक्षरित संविदा करारनामे का एक भाग बनाया जाएगा।

बी9.1.3 केवल उन मामलों में जहाँ वित्तीय संलिप्तता वाले मुद्दों सहित, मुद्दों का समाधान और टाई-अप्स महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं, कार्य करने का काम सौंपे जाने से पहले सफल बोली-दाता के साथ *पी बी डी* की जा सकती है।

बी9.1.4 जिन सप्लाइयों पर *क्यू आर* लागू है(क्यू आर मदों के लिए), उप-विक्रेताओं को *पी बी डी/* विशिष्ट करारनामों में संभव सीमा तक टाई-अप किया जाएगा। अपनी बोली में सफल बोली-दाता द्वारा निश्चित किए गए उप-विक्रेताओं के टाई-अप के अलावा उन उप-विक्रेताओं के टाई-उप में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जिन्हें सफल बोली-दाता और आगे प्रस्तावित कर सकता है बशर्ते वे, यदि लागू हुआ तो*, क्यु आर* की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे और **पावरग्रिड** में उपलब्ध सूचना/अभिलेख के आधार पर **पावरग्रिड** को स्वीकार्य होंगे।

बी9.1.5 यदि सफल बोली-दाता द्वारा सेवाओं के लिए अपनी बोली में उप-ठेकेदार, यदि कोई हों, प्रस्तावित हों तो उनकी स्वीकार्यता या अन्यथा हेतु उनके साथ सामान्य व्यवहार/विचार किया जाएगा। यदि वे बोली में प्रस्तावित नहीं हैं या उनको स्वीकार्य होने के लिए **पावरग्रिड** द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा तो यह कार्यवाही संविदा (ठेके) के कार्यान्वयन के दौरान की जाएगी।

बी9.1.6 लेबर कान्ट्रेक्ट/लेबर को लगाने के आलावा उप-ठेकेदारी(सब-कांट्रेक्टिंग) केवल नियोक्ता/खरीदार के अनुमोदन से ही अनुमत होगी। तथापि, ठेके(संविदा) की बैक-टू-बैक 100% उप-ठेकेदारी अनुमत नहीं होगी।

बी9.1.7 जहाँ सौदेबाजी होती हो तो उसे छोड़ कर सामान्यतः *पी बी डी के* बाद संविदा(ठेके का) मूल्य वही होगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा। तथापि, यदि कोई अंतर हो तो *पी बी डी* की मंजूरी हेतु प्रस्ताव में उस के लिए कारण स्पष्ट रूप से बताए गए होंगे। *पी बी डी* के दौरान संविदा मूल्य में कोई वृद्धि या **पावरग्रिड** पर अतिरिक्त वित्तीय संलिप्तता सहित कोई अन्य रुटीन टाई-अप अनुमत नहीं होगा।

बी9.2 कार्य सौंपने(अवार्ड) की अधिसूचना जारी करना तथा संविदा करारनामे/ संविदा निष्पादन गारण्टी पर हस्ताक्षर करना

बी9.2.1 अन्य बातों के साथ-साथ सफल बोली-दाता की ऑफर/प्रस्ताव/बोली की स्वीकृति की सूचना देते हुए अवार्ड की अधिसूचना का जारी किया जाना संविदा को पूरा बनाने वाला होगा। उसमें उसका विशेष उल्लेख किया जाएगा।

बी9.2.2 अवार्ड की अधिसूचना(*एन ओ ए)* के संदर्भ में, सफल बोली-दाता संविदा निष्पादन गारण्टी सहित आवश्यक बेंक गारंटियों का प्रबंध करेगा जिस के लिए उसे *एन ओ ए* के माध्यम से कहा जाएगा।

बी9.2.3 *एन ओ ए*/संविदा करारनामे(*सी ए)* हेतु एक मार्ग-दर्शी फोर्मेट सामान्यतः बोली के कागज़ात के साथ ज़ारी किए जाएँगे/उसके अनुसार हस्ताक्षरित किए जाएँगे इस में विशिष्ट संविदा पैकेज के लिए ज़रूरी उपयुक्त परिवर्तन किए जा सकेंगे। अन्य मामलों में, जहाँ मार्ग-दर्शी फोर्मेट बोली के कागज़ात का एक भाग नहीं है, इसी प्रकार के मामलों में अपनाए जाने वाला फोर्मेट प्रयोग किया जाएगा।

बी9.2.4 ऐसे मामलों में जहाँ आपात-काल/आपातकालीन स्थिति के कारण सफल बोली-दाता को ऑफर/प्रस्ताव/बोली के केवल मंज़ूर हो जाने की सूचना देना ज़रूरी समझा जाता है तो बिना और आगे विवरण दिए, विस्तृत *एन ओ ए* या *सी ए* जारी किए जाने से पहले एक *संक्षिप्त एन ओ ए* जारी किया जा सकता है। ऐसे मामलों में *संक्षिप्त एन ओ ए* संविदा का भाग रहेगा और उसमें उसका विशेष उल्लेख रहेगा।

बी9.2.5 चूंकि *पी बी डी* के दौरान, आपसी सहमति से हुए टाई-अप्स/संकल्पों के बाद, एन ओ ए बोली-दाता के प्रस्ताव/ऑफर/बोली के मंज़ूर किए जाने की सूचना देता है, तो तथ्य और परिस्थितियां अन्यथा न होने पर बोली-दाता से और आगे स्वीकृति नहीं मांगी जाएगी। तदनुसार, बोली-दाता के प्राधिकृत हस्ताक्षर-कर्ता की केवल प्राप्ति-स्वीकार मांगी जाएगी। सफल बोली-दाता एवं **पावरग्रिड** के बीच *सी ए* पर हस्ताक्षर या तो **पावरग्रिड** के कार्यालय में होंगे या, यदि वह ऐसा चाहे, बोली-दाता को उसकी प्रति भेज कर उसके हस्ताक्षर कराए जा सकते हैं।

:: अध्याय 9 समाप्त ::

अध्याय 10

काम दिए जाने से पूर्व के विशिष्ट मुद्दे

बी10.1 सामान्य

बी10.1.1 *क्यू आर* के कार्यान्वयन से सम्बंधित सभी मुद्दों का कार्य, परिचर्चा और निर्णय *क्यू आर समिति* द्वारा किए जाएंगे।

बी10.1.2 *सी सी* में लागत आकलन से सम्बंधित सभी मुद्दे और विचार-विमर्श, पैरा बी4.2.1 में संदर्भित समिति द्वारा किए जाएँगे जो अपनी सिफारिशें सम्बंधित विभागों के कार्यकारी निदेशकों, निदेशक(परियोजनाएं) तथा निदेशक(वित्त) के माध्यम से सी एम डी की मंज़ूरी के लिए भेजेगी।

बी10.2 अर्हता की अपेक्षाओं सम्बन्धी मुद्दे

बी10.2.1 अविलयन/बिक्रियों में मंदी से अन्य हस्ती(एन्टिटी) से बिज़नेस ले कर बनाई गई नई हस्ती के मामले में तथा ग्रीनफील्ड उपक्रमों के मामले में क्यू आर अनुपालन अभिनिश्चित करते हुए निम्नलिखित क्रिया-विधि का पालन किया जाएगा:

(i) ऐसे वर्तमान ग्रीनफील्ड उपक्रमों के लिए जो तीन वित्त वर्षों(अर्थात 36 महीनों) से कम से वजूद में हैं और तीन(3) वित्त वर्ष अभी पूरे करने वाले हैं, उनके पूरे किए गए वित्त वर्षों के वित्तीय विवरणों के यथानुसार कारोबार के शुद्ध

मूल्य एवं औसत पर, विनिर्दिष्ट शुद्ध मूल्य तथा *एम ए ए टी* की अपेक्षाओं के *क्यू आर* अनुपालन के प्रयोजन हेतु विचार किया जाएगा।

(ii) ऐसी कम्पनी के मामले में, जो पिछली कंपनी से अविलयन/व्यापार के भाग/हिस्से की बिक्रियों में मंदी के कारण बनी हैं, खण्डों के अनुसार वित्तीय विवरणों पर विचार किया जा सकता है। तथापि, यदि खण्डों के अनुसार रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है तो संविधिक लेखा-परीक्षक/प्रामाणित लोक लेखाकार द्वारा प्रामाणित डाटा पर विचार किया जा सकता है।

(iii) तथापि, कोई ऐसा ग्रीनफील्ड उपक्रम/ नई हस्ती, *क्यू आर* की वित्तीय स्थिति की अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु नहीं विचारी जाएगी जिसने जिसके पास एक वर्ष के भी वित्तीय विवरण नहीं हैं।

बी10.2.2 ऐसे मामलों में, जिनमें बोली-दाता स्थानीय अभिशासन के यथानुसार उनके लागू न होने के कारण प्राधिकरणों द्वारा प्रामाणित/जारी अपेक्षित कागज़ात, जैसे लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण नहीं दे पाता है तो अनुपालन को ऐसे कागज़ात के आधार पर अभिनिश्चित किया जा सकता है जो देश के विशिष्ट विनियमों के यथानुसार प्रमाणिक एवं प्रचलित हैं।

बी10.3 बोली देने (बिडिंग) प्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दे

बी10.3.1 सीमित निविदा आमंत्रण पर एकल प्रतिक्रिया (उत्तर) को *डी ओ पी* के प्रयोजन के लिए, स्रोत मानकीकरण/तात्कालिकता/प्रोपराईटरी आर्टिकल प्रमाण-पत्र वाले वर्ग के आलावा अन्य वर्ग में एकल निविदा माना जाएगा।

बी10.3.2 सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, सभी पूर्व-अर्हकारी या पैनल-बद्ध/सूची-बद्ध पार्टियों से अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित/बुलाई गई निविदाओं/बोलियों को, *डी ओ पी* सहित सभी प्रयोजनों के लिए खुली निविदा माना जाएगा।

बी10.3.3 सुरक्षा संविदा के फैलाव के लिए पुनर्वास महा निदेशक(*डी जी आर*) द्वारा प्रायोजित पार्टियों से आमंत्रित निविदाओं को सभी प्रयोजनों केलिए खुली निविदा माना जाएगा।

बी10.3.4 बोली के कागज़ात के एक सेट के अंतर्गत आने वाले पैकेज़िज़ के लिए, *एस एस टी ई* बोली देने के अंतर्गत द्वीतीय लिफ़ाफों को उनकी प्राक्कलित लागतों (करों और सीमा-शुल्कों को निकाल कर) के अवरोही क्रम में खोला जाएगा, अर्थात सबसे ऊंचे मूल्य वाले पैकेज को पहले खोला जाएगा। तथापि, ऐसे एक या अधिक पैकेज़िज़ में मूल्य लिफाफों को खोलने के लिए तीन या तीन से कम बोली-दाता होने पर, उनके लागतों के प्राक्कलनों की परवाह किए बिना ऐसे पैकेज़िज़ को अन्य पैकेज़िज़ से पहले खोलने केलिए चुना जाएगा। इस प्रकार उनमें से सबसे कम संख्या वाले बोली-दाताओं की बोलियों या पैकेज़िज़ को पहले लिया जाएगा। ऐसा बोली-दाताओं, यदि कोई है, की क्षमता की सीमा देखने के लिए है।

बी10.4 करों तथा सीमा-शुल्कों से सम्बंधित मुद्दे

बी10.4.1 तैयार माल (सामग्री/उपकरण) बनाने के लिए **पावरग्रिड** को ठेकेदार द्वारा सीधे ही या उप-विक्रेता के माध्यम से सप्लाई करने हेतु लिए जाने वाले कच्चे माल/संघटक, उप-एसेम्बली पर लगने वाले सभी करों एवं सीमा-शुल्कों को बोली-दाता द्वारा बोले गए मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। इस से हटी हुई बोली को अनुक्रिया-हीन माना जाएगा।

बी10.4.2 उप-विक्रेता/उप-ठेकेदार के माध्यम से **पावरग्रिड** को तैयार माल के रूप में सप्लाई की गई सामग्रियों/ उपकरणों पर लागू होने वाले सभी कर एवं सीमा-शुल्क बोली-दाता द्वारा ऐसी मदों (खरीदी गई मदें) के लिए बोले गए मूल्य में शामिल किए जाने हैं। इस से हटी हुई बोली को अनुक्रिया-हीन माना जाएगा। तथापि, यदि बोली-दाता ने उसे या तो एक ख़ास राशि के रूप में या बोले गए मूल्य के प्रतिशत के रूप में अलग से बताया है तो यह परिमाणन-योग्य है और इस प्रकार परिमाणित राशि को मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए लिया जाएगा। और भी, परिमाणित राशि तक सीमित रहते हुए, कागजाती साक्ष्य पर प्रति-पूर्ति हेतु बोली-दाता के साथ मुद्दे को सम्बद्ध (टाइड-अप) किया जाएगा।

बी10.4.3 प्रवेश कर को बोली के मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा, किन्तु मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उस को हिसाब में लिया जाएगा। चुंगी(ऑकट्राय) को न तो बोली के मूल्य में जोड़ा जाएगा और ना ही उसे मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाएगा।

बी10.4.4 कार्य संविदा (ठेका) कर (*वर्क्स कोंट्रेक्ट टैक्स/डब्ल्यु सी टी*) अर्थात कार्य संविदा पर यथा लागू बिक्री कर एवं सेवा कर को बोली-दाता द्वारा बताए गए मूल्य में शामिल कर लिया जाएगा। तथापि, यदि बोली-दाता ने उसे अलग से दिया है, चाहे

विशिष्ट राशि के रूप में या बोले गए मूल्य के प्रतिशत के रूप में, ताकि इसके परिमाण का पता लगाया जा सके, तो इस प्रकार परमाणित प्राप्त राशि को मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु हिसाब में लिया जाएगा। और भी, परिमाणित राशि तक सीमित रहते हुए, कागजाती साक्ष्य पर प्रति-पूर्ति हेतु बोली-दाता के साथ मुद्दे को सम्बद्ध किया जाएगा।

बी10.4.4.1 सेवा संविदाओं(ठेकों) जैसे हाऊस-कीपिंग, वाहन किराए पर लेना आदि, विशेष रूप से क्षेत्र/स्थल पर, और जिनमें छोटी एजेंसियां संलिप्त हैं तो बोलियाँ सेवा कर के बिना मांगी जा सकती हैं।

बी10.4.4.5 जहाँ कहीं भी लागू होगा, **पावरग्रिड** नियमों/संविधिक अपेक्षाओं के अनुसार *टी डी एस* लागू करेगा एवं *टी डी एस प्रमाण-पत्र* देगा।

बी10.4.6 संविदा(ठेके) के निष्पादन के दौरान जी एस टी चालू हो जाने की दशा में **पावरग्रिड**, ठेके के इस से प्रभावित लेन-देन पर इसके प्रभाव की सम्पूर्णता में जांच करेगा और देखेगा कि जरूरत होने पर ठेके के मूल्यों में इसका बराबर का समायोजन हो सकता है या नहीं। ठेकेदार इस प्रयोजन के लिए **पावरग्रिड** की जरूरत के मुताबिक सम्बंधित विवरण/कागज़ात **पावरग्रिड** को देगा।

बी10.4.7 बोलियाँ कार्य के पूरे क्षेत्र हेतु आमंत्रित और मूल्यांकित की जाएंगी तथा सफल बोली-दाता और इसके स्वीकृत एसोसिएट्स (यदि बोली के कागज़ात के प्रावधानों के अनुसार लागू होता हो)/ प्रस्तावित एसोसिएट्स को कार्य सौंपा जाना विभाजन-योग्य ठेके के आधार पर होगा। जबकि सामान्य तौर पर विभाजन-योग्य ठेके तटेतर भाग, तट पर्यंत सप्लाई के भाग एवं तट पर सर्विस के लिए होंगे, किन्तु यदि परिस्थिति में जरूरी हो तो और आगे विभाजन हेतु विचार किया जा सकता है।

बी10.4.8 बोली के बाद की चर्चा/ विशिष्ट करारनामे के दौरान यदि कोई बोली-दाता अपने स्वयं के कारखाने से (प्रत्यक्ष) दिए जाने की बजाए अपने उप-ठेकेदार से(खरीदा गया माल) सप्लाई का प्रस्ताव देता है या इसके उलट होता है तो उसकी अनुमति दी जा सकती है किन्तु ठेके की निबंधन तथा शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। यदि खरीदी गई ऐसी मद के मूल्य में सीमा-शुल्क एवं बिक्री कर शामिल हैं जिसे बाद में बोली-दाता द्वारा प्रत्यक्ष सौदे के तहत अपनी उत्पादन सुविधाओं से सप्लाई किया जाना प्रस्तावित है तो संविदा मूल्य में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। तथापि, बीजक बनाने के प्रयोजन के लिए, लागू होने वाले सीमा-शुल्क एवं बिक्री कर बताते हुए संविदा मूल्य को खंडित कर दिया जाएगा।

यदि प्रत्यक्ष सौदे की ऐसी मद के लिए संविदा मूल्य में सीमा-शुल्क एवं बिक्री कर शामिल नहीं हैं जिसे बाद में बोली-दाता द्वारा खरीदे गए मदों के तौर पर सप्लाई किया जाना प्रस्तावित है तो संविदा मूल्य में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा। तथापि, कार्य मिल जाने की दशा में बोली-दाता द्वारा अपने उप-विक्रेता को जो सीमा-शुल्क और बिक्री कर का भुगतान किया जाएगा, उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी जो प्रपत्रों के साक्ष्य के आधार पर तथा संविदा के अनुसार बोली-दाता को अन्यथा देय राशि तक सीमित होगी।

क्यू आर मदों के लिए एक उप-विक्रेता से दूसरे (उत्पादन के देश में परिवर्तन के मामले में) में परिवर्तन के मामले में, इसकी अनुमति केवल तब ही होगी जब आरम्भ में प्रस्तावित उप-विक्रेता अपेक्षित के अनुसार सप्लाई करने में अपनी असमर्थता जाहिर करता है। और आगे यह कि नया उप-विक्रेता विनिर्दिष्ट *क्यू आर* की शर्तों को पूरा करता हो। क्यू आर मदों (उत्पादन के देश में परिवर्तन के मामलों सहित) के अलावा अन्य मदों हेतु एक उप-विक्रेता से दूसरे में परिवर्तन तब ही अनुमत होगा जबकि यह तकनीकी दृष्टि से सही हो।

बी10.4.9 करों तथा सीमा-शुल्कों में परिवर्तन एवं बोली खुल जाने के बाद किन्तु कार्य सौंपे जाने से पहले नए करों और सीमा-शुल्कों का लागू होना

मूल्यांकन के चलते हुए और/या संविदा(ठेका) सौंपे जाने से पहले ऐसा हो सकता है कि करों और सीमा-शुल्कों की दरें बदल जाएं या सरकार द्वारा नए कर व सीमा-शुल्क शुरू कर दिए जाएं। ऐसे मामलों में निम्नलिखित क्रिया-विधि अपनाई जाएगी:

(i) विश्लेषण को उन मदों तक सीमित रखा जाएगा जिन केलिए बोली के कागज़ात के प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार को कर तथा सीमा-शुल्क देय/प्रतिपूर्ति-योग्य होंगे।

(ii) बोली के मूल्यों का मूल्यांकन दोनों करों एवं सीमा-शुल्कों, अर्थात पिछले तथा नए के साथ किया जाएगा। मूल्यांकन के बाद यदि एल-1 बोली-दाता की स्थिति अपरिवर्तित रहती है तो ऐसे न्यूनतम मूल्यांकित बोली-दाता के पक्ष में कार्य देने की सिफारिश की जाएगी/कार्य सौंप दिया जाएगा।

(iii) मूल्यांकन के बाद यदि एल-1 बोली-दाता की स्थिति बदल जाती है तो पिछले एल-1 बोली-दाता से, करों व सीमा-शुल्कों की नई दरों को ले कर अपने मूल्यों को, उभरते हुए नए बोली-दाता के मूल्यों के बराबर करने के लिए कहा जाएगा। यदि पिछला बोली-दाता मूल्यों को बराबर करने में असमर्थ रहता है तो दोबारा निविदा देने/फौरी बिडिंग/ई-रिवर्स ऑक्शन के विकल्प अपनाए जा सकते हैं।

(iv) यदि अन्यथा भी, लागू मार्ग-निर्देशों के अनुसार *ई-रिवर्स, ऑक्शन* किया जाता है तो ऐसा ई-रिवर्स ऑक्शन करों और सीमा-शुल्कों की बदली हुई दरों के साथ किया जाएगा। फौरी बिडिंग के लिए भी वही सिद्धांत अपनाए जाएँगे।

(v) करों तथा सीमा-शुल्कों की दरों में कमी हो जाने के मामले में, सिफारिश-शुदा बोली-दाता से उन मदों के लिए फायदा (हमें) देने के लिए कहा जाएगा जिन के लिए बोली मूल्यों में कर तथा सीमा-शुल्क शामिल किए गए हैं। यदि बोली-दाता ऐसी कमी का लाभ (हमें) देने में असफल रहता है तो दोबारा निविदा देने/फौरी बिडिंग/ई-रिवर्स ऑक्शन के विकल्पों को आजमाया जा सकता है।

बी10.5 बैंकिंग दस्तावेज़ जैसे बैंक गारण्टी/साख-पत्र सम्बन्धी मुद्दे

बी10.5.1 **बयाना जमा/बोली प्रतिभूति/बोली गारण्टी**

बी10.5.1.1 कुछ मामलों में बयाना जमा (*ई एम डी*)/बोली प्रतिभूति/बोली गारण्टी, जो बैंक गारण्टी के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, अपने पाठों में बोली वाले कागज़ात के पाठों से भिन्न होती हैं। जबकि निर्धारित से अलग मूल्य एवं वैधता वाली बैंक गारण्टी स्वीकार्य नहीं हो सकती पर बदले हुए पाठ के साथ किन्तु अन्यथा आशय एवं प्रयोजन को और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मान-दण्डों, जैसे मूल्य व वैधता आदि को पूरा करने वाली एक बैंक गारण्टी को अस्वीकार कर देना समझदारी नहीं होगी। तदनुसार, ऐसे मामलों में नीचे विवरणित के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है:

बी10.5.1.2 बैंक गारण्टी स्वीकार नहीं होगी और बोली अनुक्रिया-हीन मानी जाएगी यदि :

(i) बैंक गारण्टी में दिए विनिर्देश नंबर के साथ पैकेज का नाम उस पैकेज से फर्क है जिस के लिए बोली आमंत्रित की गई है।

(ii) जिस फर्म/प्रोपराईटर की ओर से बैंक गारण्टी दी गई है, वह बोली-दाता से फर्क है।

(iii) बैंक गारण्टी निर्धारित मूल्य की नहीं है। तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ बैंक गारण्टी उस मुद्रा से भिन्न मुद्रा में है जिस में बैंक गारण्टी वाली राशि लिखी हुई है, तो मुद्रा विनिमय दर में अन्तर होने के कारण कोई कमी होने पर, निर्धारित मूल्य(या तो डॉलर/यूरो/भारतीय रुपयों में) के 1% तक की कमी स्वीकार्य होगी।

(iv) बैंक गारण्टी की वैधता निर्धारित अवधि से कम की है। तथापि, यदि कोई कमी होती है तो सात (7) दिनों तक की कमी स्वीकार्य होगी। और भी, अतिरिक्त कमी निम्नलिखित मामलों में स्वीकार्य होगी:

क. यदि बोलियों को जमा करने की एवं बोली खोलने की अंतिम तारीखों में एक बार वृद्धि की जा चुकी है और ऐसी पिछली वृद्धि की अवधि 15 दिनों से कम या उतनी ही है तो पिछली वृद्धि की अवधि में जितनी शेष रह गई होगी, उतनी वृद्धि स्वीकार्य होगी।

ख. यदि बोलियों को जमा करने की एवं बोली खोलने की अंतिम तारीखों में एक बार से अधिक वृद्धि की जा चुकी है और ऐसी पिछली वृद्धि की अवधि 15 दिनों से कम या उतनी ही है तो पिछली वृद्धि की अवधि में जितनी शेष रह गई होगी, उतनी वृद्धि स्वीकार्य होगी।

बी10.5.1.3 उपरोक्त पैरा बी10.5.1.2 की सामान्यताओं के बावजूद, बोली की प्रतिभूति के लिए बैंक गारण्टी को स्वीकार कर लेना निम्नलिखित पर आधारित होगा:

(i) यह स्वीकार्य होगी यदि बैंक गारण्टी के लिए प्रयुक्त स्टॉम्प पेपर या तो जारी करने वाले बैंक के नाम है या बोली-दाता(संयुक्त उपक्रम के मामले में साझीदारों में से कोई) के नाम है। ऐसी बैंक गारण्टी की वैधता में वृद्धि, जो

स्टाम्प पेपर पर नहीं है, स्वीकार की जा सकती है यदि इसके लागू होने की योग्यता की पुष्टि बैंक द्वारा की जाती है।

(ii) यदि बैंक गारण्टी का पाठ, बोली के कागज़ात में दिए गए फ़ॉर्मेट से भिन्न है तो केवल इसी आधार पर बैंक गारण्टी अस्वीकृत नहीं की जाएगी। विधि विभाग के परामर्श से इस बात की जांच की जाएगी कि क्या यह बोली की प्रतिभूति के अपेक्षित आशय और प्रयोजन को पूरा करती है या नहीं। यदि पाठ में भिन्नता के बावजूद बैंक गारण्टी, बोली की प्रतिभूति के अपेक्षित आशय और प्रयोजन को पूरा करती है, या भिन्नता ऐसी है कि इसका पूर्वाभासी भविष्य पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है और यदि परिस्थिति-वश बैंक गारण्टी का नकदीकरण कराना हुआ तो बैंक गारण्टी स्वीकार कर जी जाएगी।

(iii) यदि जारी करने वाले बैंक द्वारा जोड़े गए देयता की सीमा(लिमिटेशन ऑफ़ लायबिलिटी) के पैरे के अलावा बैंक गारण्टी के भरने-योग्य विभिन्न स्थानों पर मूल्य, वैधता, लाभ-भोगी के नाम, बैंक के नाम आदि में विरोधाभास/विसंगति पाई जाती है या/और शब्दों व अंकों में दिए आंकड़ों में दिए गए मूल्यों में विरोधाभास पाया जाता है, और आगे यह कि कम-से-कम एक स्थान पर दिए गए विवरण विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं से मेल खाते हैं तो, विधि विभाग के परामर्श से, जारी करने वाले बैंक से इस बात की पुष्टि ली जाएगी कि क्या नकदीकरण की दशा में बैंक द्वारा बैंक गारण्टी को अपेक्षित राशि के लिए/अपेक्षित वैधता के भीतर ऑनर किया जाएगा। यदि बैंक की पुष्टि सकारात्मक है, चाहे स्पष्टीकरण द्वारा या बैंक गारण्टी में संशोधन करके, तो ऐसी बैंक गारण्टी को वैध माना जाएगा।

बी10.5.1.4 क्षेत्रों/परियोजनाओं/कार्पोरेट कार्यालय में एम एम विभाग द्वारा दिए जाने वाले ठेकों के लिए, जबकि सामान्यतः बयाना राशि जमा की विनिर्दिष्ट राशि, प्राक्कलित लागत के 2% की होगी, फिर भी प्रापण/बोली-दाता के प्रोफाइल एवं अन्य सम्बंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित बयाना राशि की जमा के मूल्य को या तो कम किया जा सकता है या विशिष्ट मामलों में इस अपेक्षा का अधित्याग किया जा सकता है।

बी10.5.1.5 सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी ख़ास पैकेज का कार्य देने की सिफारिश का अनुमोदन किए जाने के तुरंत बाद, अनुशंसित बोली-दाता के सिवाय सभी बोली-दाताओं की बयाना जमा राशि/बोली प्रतिभूति/बोली की गारण्टी(जिसे इसमे इस के बाद *'ई एम डी'* कहा गया है) तुरंत लौटा दी जाएगी।

बी10.5.1.6 एकल चरण द्वि-लिफाफे बोली देने की पद्धति के मामले में, पहली लिफाफा बोली मूल्यांकन रिपोर्ट की मंजूरी के बाद, उन बोली-दाताओं की *ई एम डी* बिना खोली गईं मूल्य बोलियों के साथ लौटा दी जाएंगी जिनकी बोलियाँ अनुक्रिया-हीन पाई गई हैं।

बी10.5.1.7 जिसे ठेका दिया गया है, उस सफल बोली-दाता द्वारा जमा कराई गई संविदा निष्पादन गारण्टी स्वीकार कर लिए जाने के बाद, सिफारिश-शुदा बोली-दाता की *ई एम डी* भी तुरंत लौटा दी जाएगी जो उपरोक्त पैराग्राफों में रोकी गई दिखाई गई है।

बी10.5.1.8 कुछ उदाहरण हैं जिनमें *सी पी जी* के एवज में प्रतिभूति जमा हेतु, *आर ए* बिल में से 10%(या एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत) घटाने का प्रावधान है, सफल बोली-दाता के अलावा अन्य बोली-दाताओं की *ई एम डी* ठेकेदार द्वारा कार्य सौंपे जाने की अधिसूचना/कार्य सौंपे जाने की प्राप्ति-स्वीकार करते ही वापस कर दी जाएगी। तथापि, सफल बोली-दाता की बयाना जमा राशि *आर ए बिलों* में से विशिष्ट प्रतिशत घटाने के बाद लौटाई जाएगी।

बी10.5.2 संविदा निष्पादन गारण्टी/प्रतिभूति जमा

बी10.5.2.1 ऐसे पैकेजिज़ के लिए जिनमें उपकरण के सफल निष्पादन के लिए सहयोगी/अनुषंगी/सं.उ.क./समूह/प्रोमोटर्स/उप-ठेकेदार से अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति लेनी ज़रूरी है, तो अतिरिक्त पुर्जों सहित उपकरण का मूल्य *सी आई पी/सी आई एफ/ ई एक्स डब्ल्यु* वाला होगा।

बी10.5.2.2 सहयोगी/अनुषंगी/सं.उ.क./समूह/प्रमोटर्स/उप-ठेकेदार आदि द्वारा देने के लिए अपेक्षित संविदा निष्पादन गारण्टी प्रस्तुत करना, आरंभिक पेशगी जारी करने से पहले की शर्त केवल तब ही होगी जब ऐसे

सहयोगी/अनुषंगी/सं.उ.क./समूह/प्रमोटर्स/उप-ठेकेदार आदि, बोली-दाताओं के लिए अर्हकारी अपेक्षाओं में विनिर्दिष्ट मान-दण्डों में से किसी से सम्बंधित या जुड़े हुए हों। यदि नहीं हैं, अर्थात तकनीकी विनिर्देशों की अपेक्षाओं के यथानुसार चुने गए उप-ठेकेदार के मामले में, यदि प्रस्तुत करनी जरूरी भी हो, तो भी ऐसी गारण्टी आरंभिक पेशगी जारी करने के लिए पूर्व-शर्त नहीं होगी।

बी10.5.2.3 ऐसे मामलों में जहाँ किन्ही कारणों से बोलियों के कार्यों के पूरे विस्तार हेतु कार्य सौपना संभव नहीं है तो कार्य के भाग कर दिए जाएंगे ताकि उस भाग के लिए कार्य सौंपा जा सके जिस हेतु ज़रूरी अनापत्तियां प्राप्त की जा चुकी हैं तथा अलग-अलग भागों के लिए अलग से *सी पी जी* ली जाएंगी।

बी10.6 निविदा के उपरान्त सौदा-बातचीत

सामान्यतः निविदा के उपरान्त कोई सौदा-बातचीत नहीं होगी। सौदा-बातचीत केवल विशेष परिस्थितियों में ही होगी और वह भी, *सी वी सी/ प्रबंधन* द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार एल-1 बोली-दाता के साथ।

बी10.7 बोली की प्रक्रिया का रद्द किया जाना, फौरी बिडिंग/पुनः निविदा जारी करना/ई-रिवर्स ऑक्शन से सम्बंधित मुद्दे

बी10.7.1 बोली के कागज़ात में एक प्रावधान होगा कि ठेका देने से पहले किसी भी समय बोली प्रक्रिया को रद्द करने का **पावरग्रिड** का अधिकार सुरक्षित है जिसमें, प्राप्त होने के बाद किसी या सभी बोलियों को अस्वीकृत करना शामिल है। इस के लिए प्रभावित बोली-दाता या बोली-दाताओं के प्रति कोई देयता उत्पन्न नहीं होगी या **पावरग्रिड** की इस कार्रवाई के आधार के बारे में बोली-दाता या बोली-दाताओं को सूचित करने की जिम्मेदारी भी इसकी नहीं होगी। रद्दीकरण स्पष्ट न किए गए कारणों से उच्च मूल्यों के कारण, उत्पादन संघ का बनना या ऐसी ही किसी बात की वज़ह से हो सकता है। इसी प्रकार, *ई-आर ए* के लिए भी एक प्रावधान बोली के कागज़ात में शामिल होगा।

बी10.7.2 यदि परिस्थितियों वश बोली की प्रक्रिया को बोलियों को जमा कराने/खोलने से पहले रद्द करना ज़रूरी हो तो इस आशय की एक अधिसूचना 'प्रोक्योरमेंट पोर्टल'/**पावरग्रिड** की वेबसाईट पर जारी की जाएगी। ऐसे रद्दीकरण का निर्णय उन बोली-दाताओं को ऑन-लाइन/ऑफ़-लाइन मोड से, जैसे भी हो, बताना होगा जिन्हें बोली के कागज़ात ज़ारी कर दिए गए थे। यदि उस समय तक कोई बोलियाँ प्राप्त हुई हों तो उन्हें लौटाना भी होगा। तथापि, एक बार यदि बोलियाँ खोल ली गई हों (तकनीकी-वाणिज्यिक और/या मूल्य का भाग) तो पर्याप्त औचत्य अभिलेखित करते हुए सभी बोलियों को रद्द करने के इस प्रावधान का प्रयोग अंतिम उपाय के तौर पर किया जाएगा। सभी मामलों में ऐसा रद्दीकरण, ठेका(संविदा) देने में सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी से किया जाएगा। तथापि, जहाँ ठेका देने के लिए सक्षम अधिकारी निदेशक समिति/संविदा दायी समिति/निदेशक मंडल है, तो रद्दीकरण अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक की मंज़ूरी से किया जाएगा

बी10.7.3 किसी भी कारण से किसी या सभी बोलियों का रद्दीकरण, सम्बंधित पैकेज देने के लिए सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी से किया जाएगा। तथापि, यदि कार्य देने की मंज़ूरी उप-समिति/निदेशक मंडल के अधिकार क्षेत्र में आती है तो बोलियों का रद्दीकरण अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक की मंज़ूरी से होगा। बोलियों के खोले जाने के बाद बोलियों के रद्दीकरण के प्रस्ताव को निविदा समिति द्वारा संविदा, मांग करने वाले(इंडेंट) और वित्त विभागों के माध्यम से सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी के लिए तैयार किया जाएगा।

बी10.7.4 एक बार जब प्रतिस्पर्धा की कमी या ऊंचे मूल्यों के कारण सभी बोलियाँ अस्वीकृत हो जाती हैं तो, जैसा उचित समझा जाए, माँग-कर्ता विभाग द्वारा पैकेजिंग/तकनीकी विनिर्देश/*क्यू आर* आदि की समीक्षा की जा सकती है और उनमें अनुकूल संशोधन किए जा सकते हैं।

बी10.7.5 यदि नई बोलियाँ उसी(पहले वाली) बोली प्रक्रिया पर ही आमंत्रित की जाती हैं, बोली के मूल्यों को वहीं रखा जाता है जहाँ वे पहले ही खुल चुके हैं, तो उसे फौरी बिडिंग कहा जाएगा। फौरी बोलियाँ या तो उन सभी पार्टियों से, जिन्हों ने अपनी बोलियाँ दी हैं, इस प्रावधान के साथ आमंत्रित की जा सकती हैं कि संशोधित बोली में दिए गए सभी यूनिट मूल्य उन से ऊपर नहीं हो सकते जो कि मूल बोली में दिए गए थे। यदि संशोधित बोली में दिए गए मूल्य आरंभिक बोली में दिए गए मूल्यों से अधिक हैं तो ऐसी बोलियों को अनुक्रिया-हीन मानते हुए अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

बी10.7.6 सामान्यतः *ई-आर ए* निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार संचालित होगा। तथापि, यदि परिस्थिति-वश ज़रूरी हुआ तो *ई-आर ए* अन्य मामलों में भी संचालित किया जा सकता है, यदि औचित्यिक कारणों से इसके लिए, कार्य सौपने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया हो।

बी10.8 बोली की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए फर्मों की पात्रता/अपात्रता सम्बन्धी मुद्दे

बी10.8.1 यदि **पावरग्रिड** ने किसी फर्म को अनिश्चित काल के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए अपात्र घोषित कर दिया है तो भी उन्हें बोली के कागज़ात जारी करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। लेकिन यदि वे अकेले या संयुक्त उपक्रम में साझीदार या लाइसेंसर/सहयोगी के तौर पर बोली देते हैं तो उस पर स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जाएगा और उसे मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अनुक्रिया-हीन माना जाएगा। तथापि, यदि उन्होंने एक सहयोगी या उप-ठेकेदार के तौर पर या ऐसे किसी ढंग से बोली की प्रक्रिया में भाग लिया है जिस में बोली को अनुक्रियात्मक ठहराया गया है तो केवल ऐसे ही मामले में बोली पर स्वीकृति हेतु विचार किया जाएगा।

बी10.8.2 यदि बोली-दाता एक साल के भीतर दो या अधिक मामलों में सफल बोली-दाता बन कर उभरने के बाद अपनी बोली को ऑनर करने में असफल हो जाता है तो ऐसे बोली-दाता से किसी भी चालू पैकेज़िज़ या एक वर्ष के भीतर की बोली खोलने की मूल निश्चित तारीख वाले भविष्य के पैकेज़िज़ के लिए प्राप्त बोली पर स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जाएगा और उसे अनुक्रिया-हीन माना जाएगा। एक वर्ष की अवधि का हिसाब ऐसी पहले हुई घटना से लगाया जाएगा।

बी10.8.3 किसी बोली की अनुक्रियाशीलता तय करते समय ऐसे बोली-दाता के सुरक्षा के रिकार्ड पर भी, इस से सम्बंधित नीति के तहत विचार किया जाएगा।

बी10.8.4 हितों का टकराव रखने वाले बोली-दाता द्वारा दी गई कोई बोली, जैसा कि बोली के कागज़ात में परिभाषित है, अनुक्रिया-हीन मानी जाएगी।

बी10.9 विशेष परिस्थितियों अर्थात जोखिम और लागत, के अंतर्गत वाली संविदाओं(ठेकों) से सम्बंधित मुद्दे

बी10.9.1 जोखिम तथा लागत आधार पर ठेका देते हुए, निम्नलिखित अतिरिक्त मार्ग-निर्देशों पर भी विचार किया जाएगा:

पहले के ठेके में चूक करने वाले ठेकेदार को नई बोली प्रक्रिया में भाग लेने से रोका नहीं जाएगा पर उस पर स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जाएगा एवं उसे मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अनुक्रिया-हीन माना जाएगा।

बी10.9.2 जोखिम व लागत आधार पर आमंत्रित निविदा में मूल्यांकन के दौरान तुलना के प्रयोजन के लिए रेफरेंस एस्टिमेट्स में से एक, मूल्य समायोजन फार्मूला पर आधारित अद्यतन-कृत शेष कार्य का पहले का अवार्ड वाला मूल्य होगा।

बी10.10 डीब्रीफिंग

बी10.10.1 एकल चरण द्वि-लिफाफे(सिंगल स्टेज टू एन्वलप) बिडिंग के अंतर्गत ऐसे सभी बोली-दाताओं को, जिनकी पहले लिफाफे की बोली अस्वीकृत हो गई है, कारण सहित इसकी सूचना दूसरे लिफाफे की बोलियाँ खोलने से पहले लिखित

रूप में/ई-प्रापण पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। और भी, यदि दूसरे लिफाफे की कोई बोली अस्वीकृत हो जाती है तो सम्बंधित बोली-दाता को इसकी सूचना, उस विशेष पैकेज का कार्य सौंपे जाने के बाद, अस्वीकृति के कारण देते हुए लिखित रूप में/ई-प्रापण पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।

बी10.10.2 एकल चरण एकल लिफाफा बोली देने के अंतर्गत उन सभी बोली-दाताओं को, जिनकी बोलियाँ अस्वीकृत हो गई हैं, इसकी सूचना उस विशेष पैकेज का कार्य सौंपे जाने के बाद, अस्वीकृति के कारण देते हुए लिखित रूप में/ई-प्रापण पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।

बी10.10.3 द्वि-चरणीय बोली-देने(टू स्टेज बिडिंग) के अंतर्गत ऐसे सभी बोली-दाताओं को, जिनकी पहले लिफाफे की बोली अस्वीकृत हो गई है, कारण सहित इसकी सूचना दूसरे चरण की बोलियाँ खोलने से पहले लिखित रूप में/ई-प्रापण पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। और भी, यदि दूसरे चरण की कोई बोली अस्वीकृत हो जाती है तो सम्बंधित बोली-दाता को इसकी सूचना, उस विशेष पैकेज का कार्य सौंपे जाने के बाद, अस्वीकृति के कारण देते हुए लिखित रूप में/ई-प्रापण पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी।

बी10.11 शिकायत निवारण क्रिया-विधि/शिकायत निपटाने की प्रणाली

बी10.11.1 प्रापण की प्रक्रिया के दौरान **पावरग्रिड** के किसी कार्य, कार्रवाई, या चूक के कारण खिन्न कोई पार्टी ऐसी शिकायत के लिए, ऐसे कार्य, कार्रवाई या चूक की तारीख से 10 दिनों या बोली के कागज़ात में यदि कोई विनिर्दिष्ट हो तो ऐसी अन्य समयावधि के भीतर लिखित रूप में आवेदन कर सकती है। तथापि, अहस्ताक्षरित या गुमनाम आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

बी10.11.2 शिकायतें जिस अधिकारी को संबोधित की जानी हैं, वह वही अधिकारी होगा जिसके नाम से *बोलियाँ/एन आई टी* जारी की गई थीं।

बी10.11.3 यदि शिकायत निविदा समिति के महा प्रबंधक स्तर के सदस्यों सहित किसी अधिकारी के निर्णय, कार्रवाई या चूक के विरुद्ध या महा प्रबंधक या नीचे के स्तर के अधिकारी की कार्य मंजूर करने की शक्ति के अंतर्गत आने वाले मामलों में, **पावरग्रिड** द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध है तो आवेदन पर का.नि.(सी एस)/ का.नि.(एम एम), जैसा भी मामला हो, का.नि.(इंडेंटिंग विभाग) तथा का.नि.(वित्त) को ले कर बनी शिकायत निवारण स्थायी समिति द्वारा विचार किया और कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र द्वारा व्यवहृत पैकेज़िज़ के मामले में भी वही समिति निदेशक(क्षेत्र/परियोजना) को एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में लेकर ऐसे मामले को देखेगी। तथापि, मुख्य प्रबंधक और नीचे के स्तर पर मूल्यांकन के विरुद्ध शिकायत या क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य प्रबंधक तथा नीचे के स्तर की शक्तियों के भीतर आने वाले मामलों सम्बन्धी शिकायतों पर इसी प्रकार की समिति आवेदनों पर कार्रवाई करेगी जिस में परियोजनाओं के प्रमुख या परिसंपत्ति प्रबंधक, जैसा भी मामला हो, वित्त के प्रमुख और इंजीनियरिंग के प्रमुख।

बी10.11.4 यदि शिकायत कार्यकारी निदेशक के स्तर के अधिकारी के निर्णय, कार्रवाई या चूक के विरुद्ध या का.नि. या उच्चतर की कार्य सौंपने की शक्तियों में आने वाले मामलों में **पावरग्रिड** द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध है तो आवेदन पर अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक, निदेशक(परियोजना) और निदेशक(वित्त) की शिकायत निवारण समिति विचार तथा कार्रवाई करेगी।

बी10.11.5 समिति बोली-दाता की शिकायत के गुण-दोषों पर विचार और कार्रवाई करेगी तथा इसका निर्णय सम्बंधित बोली-दाता को, आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के या बोली के कागज़ात में विनिर्दिष्ट यदि अन्य कोई ऐसी अवधि हो तो उसके भीतर, लिखित रूप में भेज दी जाएगी।

बी10.11.6 ठेका देने से पहले प्रापण के दौरान, केवल उन्ही बोली-दाताओं की शिकायतों की समीक्षा की जाएगी जिन्होंने प्रापण प्रक्रिया में भाग लिया है।

बी10.11.7 शिकायत दूर करने के दौरान, ऐसी सूचना जो एक या अधिक बोली-दाताओं के वैध वाणिज्यिक हितों के लिए पूर्वाग्रह-वाली है या उचित प्रतिस्पर्धा को भंग करती है, प्रगट नहीं की जाएगी।

बी10.11.8 निम्नलिखित मामलों में समीक्षा के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा:

(क) प्रापण की आवश्यकता का निश्चय;
(ख) प्रापण प्रक्रिया में बोली-दाताओं की भागीदारी को सीमित करने का प्रावधान;
(ग) सौदा-वार्ता करने का निर्णय;
(घ) प्रापण प्रक्रिया का रद्दीकरण;
(ङ) गोपनीयता के प्रावधानों का लागू होना।

:: अध्याय 10 समाप्त ::

:: खंड-बी समाप्त ::

अनुलग्नक -- 1

प्रापण सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के लिए उत्तरदायित्व वाले केंद्र

1. परियोजना संकल्पना:
(क) परियोजना प्रबलीकरण तथा सिविल परियोजनाओं सहित *पीजी-टीएस परियोजनाओं* हेतु *सी टी यू*
(ख) *पीजी-टीबीसीबी परियोजनाओं* हेतु *टीबीसीबी विभाग*
(ग) *पीजी-यूएलडीसी परियोजनाओं* हेतु *एलडी एण्ड सी विभाग*
(घ) *पीजी-टेलीकॉम परियोजनाओं* हेतु *टेलीकॉम विभाग*

2. **पेशगी खर्च तथा प्रारंभिक मंजूरी:**
(क) सी टी यू के परामर्श से *कार्पोरेट प्लानिंग*

3. **विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत मंजूरी:**
(क) *कार्पोरेट प्लानिंग विभाग*

4. **परियोजना कार्यान्वयन करारनामा:**
(क) सी एम जी विभाग

5. **दीर्घावधि करारनामा:**
(क) वाणिज्यिक विभाग

6. **संभाव्यता रिपोर्ट(एफ आर)/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डी पी आर):**
(क) लागत इंजीनियरिंग विभाग

7. **निवेश की मंजूरी:**
(क) मांग कर्ता विभाग, लागत इंजीनियरिंग विभाग, वित्त विभाग तथा सी टी यू के परामर्श से, *पीजी-टीबीसीबी के सिवाय सभी परियोजनाओं* के लिए *मांग-कर्ता विभाग, लागत इंजीनियरिंग विभाग,*

8. **संविदा (कान्ट्रेक्ट) पैकेज सूची:**
(क) मांग-कर्ता(इंडेंटिंग) विभाग

9. **मास्टर नेटवर्क तथा परियोजना निष्पादन योजना:**
(क*) सी एम जी विभाग*

10. **लागत प्राक्कलन:**
(क) लागत इंजीनियरिंग विभाग

11. **बोली-दाताओं तथा उप-विक्रेताओं हेतु अर्हता सम्बन्धी अपेक्षाएं:**
(क) मांग-कर्ता(इंडेंट) विभाग

12. **बोली के कागजात:**
(ख) प्रलेखों यथा *एन आई टी/आई एफ बी, आई टी बी, बी डी एस, जी सी सी, एस सी सी,* और उनसे सम्बंधित फॉर्म्स के वाणिज्यिक भाग हेतु संविदा विभाग;
(ग) प्रलेखों यथा *क्यू आर, टी एस, ड्राइंग्स, बी ओ क्यू, तकनीकी कार्यक्रम* और इनसे सम्बंधित फार्म्स

13. **एन आई टी का प्रकाशन, बोली के कागज़ात की बिक्री/अप-लोडिंग, बोली खोलने वाली समिति तथा निविदा समिति का गठन:**

(क) संविदा विभाग

14. **बोलियों का खोला जाना:**

(क) संविदा विभाग, मांग-कर्ता विभाग एवं वित्त विभाग—संविदा विभाग समन्वय करेगा

15. **बोलियों का मूल्यांकन, मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप देना/कार्य देने की सिफारिश:**

(क) संविदा विभाग, मांग-कर्ता विभाग एवं वित्त विभाग --- संविदा विभाग समन्वय करेगा

16. **बोली के बाद की परिचर्चा (पीबीडी)/ विशिष्ट करारनामें:**

(क) *संविदा विभाग, इंडेंट वाला विभाग, वित्त विभाग, सी एम जी तथा क्यू ए एण्ड आई विभाग --- संविदा विभाग समन्वय करेगा*

17. **अवार्ड(कार्य सौंपना) की अधिसूचना/संविदा करारनामा**

(क) *संविदा विभाग*

टिप्पणी: सामान्यतः इंडेंट करने वाला विभाग है:

पीजी-टीएस परियोजनाओं हेतु *इंजीनियरिंग(एसएस एण्ड टी एल)*

पीजी- सिविल परियोजनाओं के लिए *इंजीनियरिंग(सिविल)* विभाग

पीजी- एच वी डी सी परियोजनाओं के लिए *इन्जिनियरिंग(एच वी डी सी) विभाग*

पीजी-यू एल डी सी परियोजनाओं के लिए *एल डी एण्ड सी विभाग*

पीजी-टेलीकॉम परियोजनाओं के लिए *टेलीकॉम विभाग*

पीजी-ए एम परियोजनाओं के लिए *परिसंपत्ति प्रबंधन प्रभाग*

पीजी-आर एण्ड डी परियोजनाओं के लिए *प्रौद्योगिकी विकास प्रभाग*

आकस्मिक परियोजनाओं तथा विविध परियोजनाओं के लिए *सम्बंधित विभाग*

परामर्शी परियोजनाओं(डिपोजिट वर्क्स) तथा *आई बी परियोजनाओं* के मामले में *इंडेंटिंग विभाग,* परियोजना के प्रकार (*टीएस/सिविल/एचवीडीसी/ एलडी एण्ड सी/टेलीकोम/एएम/टीडी आदि*) पर निर्भर रहते हुए, *सम्बंधित इंजीनियरिंग विभाग* होगा।

****